

विषय सूची

स.क्र.	विषय	पृष्ठ क्रमांक
i	प्राक्कथन	१
ii	मुख्य अंश	२ - ३
iii	भाग-१: प्रस्तावना	४ - ६
iv	भाग-२ : लेखों के संकलन एवं सत्यापन के दौरान पाई गई कमियां/विसंगतियां	७ - १०
v	भाग-३ : वर्ष २०११-१२ में कोषालयों एवं उपकोषालयों के निरीक्षण के दौरान पाई गई कमियां एवं अन्य अनियमिततायें	११ - ३४
vi	परिशिष्ट	३७ - ८९

प्राक्कथन

कोषालय शासकीय लेखा प्रणाली के मुख्य अंग है तथा वे सरकार के राजस्व की प्राप्ति एवं भुगतान पर नियंत्रण रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं । कोषालय अपने दायित्व का उचित ढंग से निर्वहन कर सकें इसके लिये शासन ने संहिताएं नियमावलियां एवं प्रक्रियाएं निर्धारित की है, अतःएव कोषालयों तथा उपकोषालयों की कार्य प्रणाली एवं विनिर्दिष्ट नियमों/प्रक्रियाओं के पालन तथा आंतरिक नियंत्रण में पाई गई कमियों, जो नियमों एवं प्रक्रियाओं से विचलन तथा वित्तीय प्रबंधन में कमी को बढ़ावा देती है, पर मेरे कार्यालय द्वारा प्रतिवर्ष एक वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन तैयार कर प्रकाशित किया जाता है ।

कोषालयों एवं उपकोषालयों की कार्य प्रणाली पर आधारित वर्ष 2011-12 का यह वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन तीन भागों में तैयार किया गया है ।

- (1) **भाग—एक** : कोषालयों की संरचना एवं संगठन
- (2) **भाग—दो** : कोषालयों द्वारा प्रेषित लेखाओं/अभिलेखों के संकलन एवं सत्यापन के दौरान आंतरिक नियंत्रण में पाई गई कमियां/त्रुटियां तथा अन्य अनियमितताएं
- (3) **भाग—तीन** : कोषालयों एवं उपकोषालयों के निरीक्षण के दौरान संज्ञान में आई विभिन्न प्रकार की अनियमितताएं/कमियाँ

इस प्रतिवेदन के प्रकाशन का उद्देश्य आंतरिक नियंत्रण सुदृढ़ करना है जिससे निर्धारित नियमों/विनियमों/प्रक्रियाओं से किसी भी प्रकार के विचलन पर गबन, घोटाले अथवा वित्तीय हानि को तत्काल रोका जा सके ।

मुझे विश्वास है कि यह समीक्षा प्रतिवेदन कोषालयीन प्रशासन को अनियमितताओं से बचने में सहायक होगा ।

प्रतिवेदन की महत्ता को बढ़ाने हेतु सुझाव आमंत्रित हैं ।



(राजीव पाण्डेय)
महालेखाकार (लेखा एवं हक) प्रथम
मध्य प्रदेश, ग्वालियर

मध्य प्रदेश स्थित कोषालयों की वर्ष 2011-12 की कार्यप्रणाली पर वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन

मुख्य अंश

मध्य प्रदेश स्थित कोषालयों की वर्ष 2011-12 की कार्यप्रणाली पर वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन के मुख्य अंश/प्रमुखताएं निम्नानुसार हैं :-

1. कोषालयों द्वारा मासिक लेखा प्रेषित करने में 1 दिन से 16 दिन तक विलंब किया जाना ।

(कंडिका 2.4)

2. कोषालयों के रोकड़ लेखे में दर्ज आर.बी.डी. के अंक एवं बैंकों के आर.बी.डी. पत्रकों में दर्ज अंकों में अंतर पाया जाना ।

(कंडिका 2.9)

3. व्यक्तिगत निक्षेप खातों में ऋणात्मक शेष पाया जाना ।

(कंडिका 2.12)

4. सार्वजनिक बैंकों से परिवार पेंशन प्राप्त कर रहे पेंशन प्रकरणों की 2: निर्धारित जांच कोषालय द्वारा न किया जाना फलस्वरूप नमूना निरीक्षण में परिवार पेंशन प्रकरणों में अधिक भुगतान होना पाया जाना

(कंडिका 3.3.3 बी-ए एवं ई)

5. सामान्य भविष्य निधि के अंतिम भुगतान प्राधिकार पत्रों का निर्धारित अवधि में भुगतान न किया जाना ।

(कंडिका 3.4.7-ब)

6. प्राकृतिक आपदा के आकस्मिक मामलों में बिना बजट के भुगतान करने से संबंधित कोषालय नियम-27 के अंतर्गत आहरित राशियों का समायोजन लंबित पाया जाना ।

(कंडिका 3.5.9)

7. बजट आवंटन को व्यपगत होने से बचाने के लिये अखर्चित राशियों का अनियमित आहरण कर व्यक्तिगत जमा खातों/बैंक खातों में जमा किया जाना ।

(कंडिका 3.5.10)

8. विभागीय अधिकारियों द्वारा बिना वित्त विभाग की अनुमति के खोले गये बैंक खातों को बन्द न करने पर वित्त विभाग के आदेश अनुसार 2: दण्ड राशि की वसूली न किया जाना । (कंडिका 3.5.12)

9. निर्माण विभागों/सिविल विभागों द्वारा आवंटन से अधिक व्यय किया जाना ।
(कंडिका 3.5.13)
10. बिना बजट प्रावधान के पिछले वर्ष के अखर्चित/असंवितरित राशि को प्राप्ति शीर्ष में जमा करना ।
(कंडिका 3.5.14)
11. वित्त विभाग की स्वीकृति प्राप्त करने से बचने के लिये राशियों को विभक्त कर भुगतान किया जाना ।
(कंडिका 3.5.15)
12. तीन वर्ष से अधिक समय से अदावाकृत राजस्व जमा की राशियों को व्यपगत न किया जाना ।
(कंडिका 3.6.2)
13. राज्य की समेकित निधि को विकलन द्वारा निर्मित व्यक्तिगत निक्षेप खातों को वित्त वर्ष की समाप्ति पर ऋण नामें द्वारा बन्द न करके राशि अवरूद्ध रखा जाना
(कंडिका 3.6.3—पप)
14. तीन वर्ष से अधिक समय से अप्रचलित व्यक्तिगत जमा खातों की राशि को राजस्व निक्षेप के अंतर्गत अंतरण न किया जाना ।
(कंडिका 3.6.6)
15. महालेखाकार कार्यालय तथा कोषालय में संधारित पी.डी. खातों के शेषों में अंतर पाया जाना ।
(कंडिका 3.6.18)
16. कोषालय के दृढ़ कक्ष से संबंधित उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त न किया जाना ।
(कंडिका 3.8.1—प)
17. मुद्रांको का आवश्यकता से अधिक भण्डारण रखा जाना ।
(कंडिका 3.9.2)
18. कोषालयीन कम्प्यूटर प्रणाली के साफ्टवेयर में पाई गई कमियां ।
(कंडिका 3.10.8)

भाग—एक
प्रस्तावना


कोषालयों की कार्यप्रणाली पर वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2011-12

भाग-1

प्रस्तावना

मध्य प्रदेश राज्य के सभी कोषालय/उप कोषालय, आयुक्त कोष एवं लेखा म.प्र. भोपाल के प्रशासकीय नियंत्रण में हैं। कोषालय की कार्य प्रणाली पर प्रभावी नियंत्रण बनाए रखने की दृष्टि से संभागीय स्तर पर क्षेत्रीय कार्यालय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन के प्रभार में हैं। प्रत्येक कोषालय एवं उप कोषालय, क्रमशः कोषालय अधिकारी एवं उप कोषालय अधिकारी के प्रभार में रहते हैं। सभी कोषालय अपने तथा अधीनस्थ उपकोषालयों के मासिक लेखे महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) ग्वालियर को प्रेषित करते हैं।

संरचना/संगठन



मध्य प्रदेश राज्य में वर्ष 2011-12 में कुल 55 कोषालय एवं 156 उपकोषालय कार्यरत रहे। सभी कोषालय/उप कोषालय, बैंकिंग कोषालय/उपकोषालय के रूप में कार्यरत हैं। वर्ष 2011-12 में समस्त 55 कोषालयों एवं 156 उपकोषालयों का निरीक्षण किया गया। (परिशिष्ट संख्या 1)

कोषालयों में पदस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों की स्थिति

वर्ष	स्वीकृत पद	कार्यरत	लेखा कार्य		कम्प्यूटर कार्य	
			प्रशिक्षित	अप्रशिक्षित	प्रशिक्षित	अप्रशिक्षित
2011-12	2085	1542	793	749	1133	409

भाग—दो
लेखों के संकलन एवं सत्यापन के दौरान
पाई गई कमियाँ / विसंगतियाँ

भाग-2

लेखों के संकलन एवं सत्यापन के दौरान पाई गई कमियाँ / विसंगतियाँ

2.1 लेखों के तैयार करने में पाई गई कमियाँ

एकीकृत मध्य प्रदेश राज्य के विभाजन के पश्चात मध्य प्रदेश राज्य, छत्तीसगढ़ राज्य तथा एकीकृत मध्य प्रदेश से संबंधित भुगतान की गई पेंशन राशि का प्रभाजन करके तदनुसार विवरण लेखे के साथ संलग्न किये जाने चाहिए ।

मध्य प्रदेश स्थिति 55 कोषालयों में से कोषालय छतरपुर, दमोह, कटनी, जबलपुर सिटी, जबलपुर जिला, सतना, रीवा, सीधी, नीमच, मंदसौर, उमरिया, अनूपपुर द्वारा प्रत्याशित पेंशन, परिवार पेंशन, उपादान एवं अवकाश नगदीकरण की राशि का एकीकृत मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्य की राशि का प्रभाजन नहीं किया जा रहा है ।

2.2 रेलवे पेंशन के बकाया दावे

वार्षिक लेखांकन के दौरान इस संबंध में कोई प्रकरण प्रकाश में नहीं आया ।

2.3 कोषालयों से अप्राप्त प्रमाणकों की सूची

वार्षिक लेखांकन के दौरान इस संबंध में कोई प्रकरण संज्ञान में नहीं आया ।

2.4 कोषालयों से मासिक लेखा प्राप्ति में विलंब

समस्त कोषालय अधिकारी निर्धारित समयावधि में कार्यालय महालेखाकार लेखा एवं हकदारी प्रथम म.प्र. ग्वालियर को उनके कोषालय के मासिक लेखा प्रेषण हेतु उत्तरदायी हैं ।

मासिक लेखे की प्रथम सूची जिसमें माह की एक तारीख से दस तारीख तक के लेन देन सम्मिलित रहते हैं, उसी माह की तेरह तारीख तक तथा लेखे की द्वितीय सूची जिसमें ग्यारह तारीख से माह के अंतिम दिन तक के लेन देनों का समावेश होता है, अगले माह की पांच तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में पहुँच जानी चाहिये ।

समीक्षा में पाया गया है कि वर्ष के दौरान प्राप्त कुल 660 लेखों में से 442 लेखे विलम्ब से प्राप्त हुये है । कोषालयों द्वारा मासिक लेखा प्रेषण में सामान्यतः 1 से 16 दिनों का विलम्ब किया गया है । विस्तृत विवरण परिशिष्ट संख्या-2 में दर्शाया गया है ।

2.5 जमा एवं अग्रिम के अंतर्गत प्रतिकूल शेषों का निराकरण

वार्षिक लेखांकन के दौरान कोई प्रकरण संज्ञान में नहीं आया है ।

2.6 कोषालयों से वांछित अनुसूचियों के प्राप्ति में विलंब

2.6.1 वर्ष 2011–12 के अन्त तक अप्राप्त/विलम्ब से प्राप्त व्ही.डी.एम.एस.

कार्य विधि के अनुसार मासिक तिथिवार आय–व्यय पत्रक (व्ही.डी.एम.एस.) जिला कोषालय अधिकारी द्वारा सत्यापन के बाद बैंक शाखाओं को एक प्रति वापस कर दो प्रतियाँ कार्यालय महालेखाकार ग्वालियर को डाक द्वारा आगामी माह की 10 तारीख तक मिल जाना चाहिये,

ये पत्रक कुछ मामलों में या तो प्राप्त ही नहीं होते हैं या काफी विलम्ब से प्राप्त होते हैं जिसके कारण आर.बी.डी. के अंतर्गत विसंगतियों का निराकरण प्रभावित होता है।

वर्ष 2011–12 में अप्राप्त सत्यापित मासिक तिथिवार आय–व्यय पत्रकों(व्ही.डी.एम.एस.) का कोषालयवार/बैंकवार विवरण परिशिष्ट संख्या–3 में दर्शाया गया है।

2.7 कोषालयों में लेखों का संकलन एवं महालेखाकार को लेखा भेजना विषय पर प्राद्योगिकी लेखा परीक्षा का अवलोकन

2.7.1 शहरी कोषालय का आंशिक कम्प्यूटरीकरण

मध्य प्रदेश के समस्त कोषालयों तथा उपकोषालयों का कम्प्यूटरीकरण किया जा चुका है।

2.7.2 अनाधिकृत वर्गीकरण का डाटाबेस में सम्मिलित किया जाना तथा अवैध लेखा शीर्षों के साथ देयकों को पारित किया जाना

कोषालय से प्राप्त प्राप्ति अनुसूची एवं चालानों पर वर्गीकरण मध्य प्रदेश शासन के बजट अनुमान वर्ष 2011–12 खण्ड–2 के अनुसार नहीं हो रहा है।

2.7.3 मुख्य लेखा तैयार (ळमदमतंजम) करते समय सुधार पत्रकों (।सजमतंजपवद डमउवमे) का लेखा में सम्मिलित न करना

वार्षिक लेखांकन के दौरान कोई प्रकरण संज्ञान में नहीं आया है।

2.8 कोषालयों में दैनिक लेखों की प्रविष्टि की जांच

वार्षिक लेखांकन के दौरान कोई प्रकरण संज्ञान में नहीं आया है।

2.9 रिजर्व बैंक जमा पंजी

2.9.1 मध्य प्रदेश स्थित कोषालयों द्वारा महालेखाकार को प्रस्तुत मासिक लेखों की जांच में पाया गया कि कुछ मामलों में बैंक द्वारा प्रस्तुत व्ही.डी.एम.एस. में दर्शाये गये अंकों तथा कोषालय द्वारा मासिक लेखे में दर्शाई गई आर.बी.डी. राशियों में भिन्नता है। उक्त भिन्नता का निराकरण बैंकों तथा कोषालयों द्वारा किया जाना है। भिन्नता पाये जाने पर निराकरण बावत् वी.डी.एम.एस. कोषालयों को वापस भेजे गये थे जो अप्राप्त हैं। वर्ष 2011–12 के जिन मामलों में अंतर पाया गया उनका विवरण परिशिष्ट संख्या–4 में दर्शाया गया है।

2.9.2 कोषालयों द्वारा मासिक लेखे में अंकित आर.बी.डी. राशि तथा आर.बी.डी. पत्रक में दर्शित राशि में अंतर बावत्

नियमानुसार कोषालयों द्वारा मासिक लेखों में दर्शाई गई आर.बी.डी. राशि अनुसार ही आर.बी.डी. पत्रक संलग्न कर लेखे के साथ भेजे जाने चाहिए। दोनों के मध्य अन्तर का निराकरण कर लेखा प्रस्तुत किया जाना चाहिए

समीक्षा वर्ष 2011-12 में परिशिष्ट संख्या-5 में दिये गये विवरण अनुसार विभिन्न कोषालयों द्वारा प्रस्तुत लेखों में दर्शाई गई आर.बी.डी. राशि तथा संबंधित आर.बी.डी. पत्रक अनुसार राशि में अंतर पाया गया ।

2.10 भुगतानकर्ता बैंक से दैनिक प्राप्ति एवं भुगतान स्कोल्स

कड़िका क्रमांक 2.6 के अनुसार

2.11 व्यक्तिगत निक्षेप खातों के अवशेषों का अंकमिलान न किया जाना

नियमानुसार कोषालय में संधारित प्रत्येक व्यक्तिगत निक्षेप खाताधारक के खाते में शेष राशि का मिलान कार्यालय महालेखाकार के अभिलेख से प्रतिवर्ष किया जाना चाहिये तथा अन्तर यदि कोई हो, का अविलम्ब निराकरण किया जाना चाहिये ।

परिशिष्ट संख्या-6 में दर्शाये गये 42 कोषालयों द्वारा कोषालयों में संधारित व्यक्तिगत जमा खातों में दिनांक 31.3.12 की स्थिति में अन्त शेष का मिलान नहीं किया गया है ।

2.12 व्यक्तिगत निक्षेप खातों में ऋणात्मक शेष पाया जाना

नियमानुसार कोषालयों में संधारित व्यक्तिगत निक्षेप खाते में जमा शेष राशि ऋणात्मक नहीं होनी चाहिये। परिशिष्ट संख्या-7 में दर्शाये गये विवरण अनुसार 48 कोषालयों में संधारित कुल 113 व्यक्तिगत निक्षेप खातों में ऋणात्मक शेष परिलक्षित हुआ है। (महालेखाकार कार्यालय के अभिलेख अनुसार)

2.13 कोषालयों द्वारा मासिक धन ऋण पत्रक महालेखाकार कार्यालय को प्रेषित न किया जाना

मध्य प्रदेश कोष संहिता भाग एक के सहायक नियम 558 के अनुसार प्रत्येक कोषालय द्वारा मासिक निक्षेप पत्रकों के साथ प्रपत्र एम.पी.टी.सी. 69 में एक धन ऋण ज्ञापन महालेखाकार कार्यालय को प्रस्तुत किया जाना चाहिये ।

वर्ष 2011-12 के लेखा संकलन के दौरान पाया गया कि परिशिष्ट संख्या-8 में दर्शाये गये विवरण अनुसार 52 कोषालयों द्वारा विभिन्न माहों के धन ऋण पत्रक मासिक लेखे के साथ प्रेषित नहीं किये गये।

भाग–तीन

वर्ष 2011–12 में
कोषालयों एवं उपकोषालयों के
निरीक्षण के दौरान पाई गई
कमियां एवं अन्य अनियमिततायें

भाग-3

वर्ष 2011-12 में कोषालयों/उपकोषालयों के निरीक्षण एवं व्यय लेखा परीक्षा के दौरान परिलक्षित हुई त्रुटियां एवं अन्य अनियमिततायें

3.1 वर्ष 2011-12 के दौरान निरीक्षण किये गये कोषालय एवं उपकोषालय का विवरण

इस कार्यालय के निरीक्षण दलों द्वारा कोषालयों/उपकोषालयों का निरीक्षण भारत के नियंत्रक एवं महालेखाकापरीक्षक के स्थाई आदेशों की पुस्तक भाग-ट्ट की कंडिका क्रमांक 775 से 783 के प्रावधान अनुसार किया जाता है। इस निरीक्षण का उद्देश्य राजस्व अधिकारियों को ऐसी व्यवस्था के संचालन में सहयोग देना है जिससे सभी कोषालय निर्धारित नियमों का कड़ाई से पालन करते हुए कार्य कर सकें। समीक्षा वर्ष 2011-12 के दौरान परिशिष्ट संख्या-1 में दर्शाये गये समस्त 55 कोषालयों एवं 156 उपकोषालयों का निरीक्षण वर्ष 2011-12 में किया गया।

3.2 वर्ष 2011-12 में लंबित निरीक्षण/व्यय लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों एवं कंडिकाओं की स्थिति निम्नानुसार है -

कंडिकाओं का विवरण	निरीक्षण/व्यय लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की संख्या	कंडिकाओं की संख्या
दिनांक 01.04.2011 को प्रारंभिक शेष	136	572
वर्ष के दौरान वृद्धि	32	259
योग	168	831
वर्ष के दौरान निराकरण	23	216
दि.31.3.12 को अंतशेष	145	615

लंबित कंडिकाओं के निराकरण हेतु आयुक्त/क्षेत्रीय संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा तथा कोषालय अधिकारियों का लगातार ध्यान आकृष्ट किये जाने के उपरांत उनके निराकरण के फलस्वरूप समीक्षा वर्ष 2011-12 में 23 निरीक्षण/व्यय लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों एवं 216 कंडिकाओं का निराकरण किया गया। दिनांक 31.03.2012 को समाप्त वित्तीय वर्ष में 145 निरीक्षण/व्यय लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की 615 कंडिकायें लंबित है।

3.2.1 कोषालय द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदनों का प्रथम पालन प्रतिवेदन प्रेषित न किया जाना

मध्य प्रदेश कोष संहिता भाग एक के सहायक नियम 43 एवं 44 के अनुसार महालेखाकार कार्यालय के कोषालय निरीक्षण दल द्वारा कोषालय के निरीक्षण के पश्चात पाई गई आपत्तियों को निरीक्षण प्रतिवेदन के रूप में जारी कर उसका प्रथम पालन प्रतिवेदन जारी होने के दिनांक से पांच सप्ताह के अंदर महालेखाकार कार्यालय को भेजने हेतु लेख किया जाता है। संचालनालय तथा संभागीय संयुक्त संचालक कोष, लेखा एवं पेंशन कार्यालय के अन्दरूनी लेखापरीक्षा शाखा द्वारा लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों के निराकरण की निगरानी रखी जानी चाहिए।

समस्त कोषालयों के निरीक्षण प्रतिवेदनों की प्रतियां आयुक्त कोष एवं लेखा, संभागीय संयुक्त संचालक कोष, लेखा एवं पेंशन तथा संबंधित कोषालयों को पांच सप्ताह में पालनार्थ भेजे जाते हैं परंतु समीक्षा वर्ष 2011-12 में पाया गया कि, परिशिष्ट संख्या 9 में दर्शाये गये विवरण अनुसार 55 कोषालयों में से 37 कोषालयों के प्रथम पालन प्रतिवेदन निर्धारित अवधि के पश्चात आगामी निरीक्षण तक भी प्राप्त नहीं हुये हैं तथा 18 कोषालयों के पालन प्रतिवेदन विलम्ब से प्राप्त हुये हैं । लंबित कंडिकाओं के निराकरण हेतु आयुक्त/क्षेत्रीय संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा तथा कोषालय अधिकारियों का लगातार ध्यान आकृष्ट किये जाने के उपरांत उनके निराकरण के फलस्वरूप समीक्षा वर्ष 2011-12 में 23 निरीक्षण/व्यय लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों एवं 216 कंडिकाओं का निराकरण किया गया । दिनांक 31.03.2012 को समाप्त वित्तीय वर्ष में 145 निरीक्षण/व्यय लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की 615 कंडिकायें लंबित है ।

3.3 पेंशन से संबंधित प्रकरण

3.3.1 अधिक/अनियमित/अपात्र पेंशन का भुगतान पांचवे वेतन आयोग के फलस्वरूप पुनरीक्षित पेंशन के अतिरिक्त सारांशीकृत मूल्यों की राशि में अधिक भुगतान कोषालय निरीक्षण के दौरान कोई प्रकरण संज्ञान में नहीं आया है ।

3.3.2 तीन वर्ष से अधिक समय से अनाहरित पेंशन

पेंशनर/परिवार पेंशनर जिन्होंने विगत तीन वर्षों से अधिक समय से अपनी पेंशन/परिवार पेंशन आहरित नहीं की है, ऐसे प्रकरणों में कोषालय द्वारा पेंशनर/परिवार पेंशनर के जीवित होने की जांच कराई जानी चाहिए तथा अनाहरित पेंशन राशि का निराकरण कर लिया जाना चाहिए ।

निरीक्षण के दौरान पाया गया कि परिशिष्ट संख्या-10 में दिये गये विवरण अनुसार 8 कोषालयों में कुल 37 पेंशन भुगतान आदेश तीन वर्ष से अधिक समय से आहरण हेतु लंबित है ।

3.3.3 पेंशन पैकेज का सूचना तकनीकी लेखा परीक्षा

(ए) पेंशन भुगतान आदेशों के प्रथम भुगतान पर अधिक/कम भुगतान की निगरानी न रखा जाना

कोषालय निरीक्षण के दौरान कोई प्रकरण संज्ञान में नहीं आया है ।

(बी) पेंशन भुगतान प्रकरणों की समीक्षा निर्धारित अवधि में न किया जाना

संचालनालय कोष एवं लेखा मध्य प्रदेश भोपाल के पत्र क्र. कोष/प्रचालन/पेंशन/पी.पी.ओ./141 दिनांक 10.8.2000 के अनुसार पेंशनरों के मासिक पेंशन भुगतान हेतु कोषालयों द्वारा विभिन्न बैंकों को स्थानांतरित पेंशन प्रकरणों में पेंशन का भुगतान सही होने के उद्देश्य से निर्देश जारी किये गये हैं कि कोषालय अधिकारी अपने जिले के कुल पेंशनरों की संख्या के दो प्रतिशत के बराबर प्रकरणों की जांच प्रत्येक माह करेंगे-

जांच हेतु उक्त आदेशानुसार निर्धारित प्रपत्र में पंजी तैयार की जानी चाहिये । यदि किसी बैंक शाखा में एक प्रतिशत से अधिक प्रकरणों में बैंक द्वारा प्रदत्त एवं कोषालय द्वारा संगणित राशि में अंतर हो तो उस बैंक शाखा के सभी प्रकरणों की जांच करें।

वर्ष 2011-12 में निरीक्षण के दौरान परिशिष्ट संख्या-11 में दर्शाये गये 25 कोषालयों द्वारा उपरोक्त निर्धारित जांच न कराया जाना तथा निर्देशानुसार निर्धारित पंजी कोषालयों में संधारित न किया जाना पाया गया ।

(सी) पेंशन पैकेज में अपूर्ण जानकारी तथा अपर्याप्त वैधीकरण

कोषालय निरीक्षण के दौरान कोई प्रकरण संज्ञान में नहीं आया है ।

(डी) पुर्ननियुक्ति पर बकाया अपात्र पेंशन का भुगतान

कोषालय निरीक्षण के दौरान कोई प्रकरण संज्ञान में नहीं आया है ।

(ई) निर्धारित अवधि के पश्चात भी उच्च दर पर परिवार पेंशन का भुगतान

मध्य प्रदेश पेंशन नियम 47 के प्रावधान अनुसार परिवार पेंशन की राशि पेंशनर के मृत्यु पश्चात 7 वर्ष तक अथवा उसकी 67 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, तक बढ़ी दर से प्रदाय की जाती है । तदपश्चात सामान्य दर से भुगतान की जानी चाहिए ।

संचालनालय के स्पष्ट आदेशों के बावजूद राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा भुगतान किये जा रहे पेंशन प्रकरणों की नियमित जांच कोषालय द्वारा न किये जाने से वर्ष 2011-12 में निरीक्षण के दौरान पाया गया कि परिशिष्ट संख्या-12 में वर्णित कोषालयों के अंतर्गत सार्वजनिक बैंकों द्वारा परिवार पेंशन के प्रकरणों में बढ़ी दर से भुगतान करना जारी रहा जिससे वर्ष के दौरान नमूना निरीक्षण में राशि ₹ 24.17 लाख का अधिक भुगतान किया गया ।

(एफ) पेंशनर के मृत्यु उपरांत अवितरित पेंशन राशि को शासकीय लेखे में जमा न किया जाना

कोषालय निरीक्षण के दौरान कोई प्रकरण संज्ञान में नहीं आया है ।

(जी) वार्षिक जीवित प्रमाण पत्र का सत्यापन न कराया जाना

कोषालय निरीक्षण के दौरान कोई प्रकरण संज्ञान में नहीं आया है ।

(एच) पेंशनर/परिवार पेंशनर के मृत्यु उपरांत पेंशन भुगतान आदेश का संवितरण भाग (क्वेइजतेमतेश् चवतजपवद) महालेखाकार कार्यालय को वापस न भेजा जाना

कोषालय निरीक्षण के दौरान कोई प्रकरण संज्ञान में नहीं आया है ।

(आई) पेंशन/परिवार पेंशन की त्रुटिपूर्ण पुनरीक्षण का प्रकरण

कोषालय निरीक्षण के दौरान कोई प्रकरण संज्ञान में नहीं आया है ।

(जे) प्रकरणों जिनमें अदेय प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं हुये हैं

कोषालय निरीक्षण के दौरान कोई प्रकरण संज्ञान में नहीं आया है ।

3.3.4 राज्य शासन के अधीन दिनांक 1.1.05 एवं इसके बाद नियुक्त कर्मचारियों को परिभाषित पेंशन योजना के क्रियान्वयन में अनियमिततायें

मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग के ज्ञापन क्र०एफ-9/3/2003/नियम/चार दि० 25.9.06 एवं ज्ञापन क्रमांक एफ-9/3/2008/नियम/चार दिनांक 01.10.2009 में दिये गये निर्देश अनुसार राज्य शासन के अधीन दिनांक 01.01.2005 एवं इसके बाद नियुक्त कर्मचारियों को परिभाषित अंशदान पेंशन योजना के तहत दिनांक 1.1.05 तथा इसके पश्चात नियुक्त कर्मचारियों के वेतन बिल से प्रतिमाह अंशदान की राशि की कटौती की जावेगी तथा उसके समतुल्य राशि राज्य शासन की तरफ से निर्धारित शीर्षों में जमा की जावेगी ।

वर्ष 2011-12 में निरीक्षण के दौरान परिशिष्ट संख्या-13 में दर्शाये गये 13 कोषालयों में कर्मचारियों के वेतन बिल से कटौती द्वारा प्राप्त अंशदान राशि ₹ 131363065.00 के विरुद्ध शासन के समतुल्य राशि ₹ 4756250.00 जमा की गई है तथा ₹ 83800614.00 जमा किया जाना लंबित पाया गया ।

3.4 सामान्य भविष्य निधि से संबंधित कार्य

3.4.1 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के विभागीय भविष्य निधि खातों के संधारण में अनियमिततायें

कोषालयीन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का विभागीय भविष्य निधि संधारण कोषालय द्वारा किया जाता है जिसमें ब्याज की गणना नियमानुकूल किया जाना कोषालय का दायित्व है, साथ ही कर्मचारियों के खातों का नियमित वार्षिक संवरण किया जाना चाहिये ।

समीक्षा वर्ष 2011-12 में निरीक्षण के दौरान परिशिष्ट संख्या 14 में दर्शाये अनुसार विभागीय भविष्य निधि खातों में जमा राशि में अंतर वार्षिक संवरण के दौरान ब्याज की गणना में त्रुटियां तथा लेजर में अस्थायी अग्रिम/प्रत्याहरण की स्वीकृति एवं आहरण के व्हाउचर क्रमांक दिनांक आदि अंकित नहीं किया जाना पाया गया ।

3.4.2 सामान्य भविष्य निधि के ऋणात्मक शेष खाता से अग्रिम आहरण स्वीकृत किया जाना

कोषालय निरीक्षण के दौरान कोई प्रकरण संज्ञान में नहीं आया है ।

3.4.3 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि पैकेज में डाटा की अविश्वसनीयता

कोषालय निरीक्षण के दौरान कोई प्रकरण संज्ञान में नहीं आया है ।

3.4.4 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि पैकेज में अपूर्ण जानकारी

कोषालय निरीक्षण के दौरान कोई प्रकरण संज्ञान में नहीं आया है ।

3.4.5 सामान्य भविष्य निधि के अंतिम भुगतान प्रकरणों में अधिक भुगतान

कोषालय निरीक्षण के दौरान कोई प्रकरण संज्ञान में नहीं आया है ।

3.4.6 कोषालयों में सामान्य भविष्य निधि अंतिम भुगतान के फर्जी प्रकरण प्रस्तुत किया जाना

कोषालय निरीक्षण के दौरान कोई प्रकरण संज्ञान में नहीं आया है ।

3.4.7 (अ) अपात्र/गलत व्यक्ति को भुगतान किया जाना

कोषालय निरीक्षण के दौरान कोई प्रकरण संज्ञान में नहीं आया है ।

3.4.7 (ब) सामान्य भविष्य निधि के अंतिम भुगतान हेतु प्राप्त प्राधिकार पत्रों पर निर्धारित छःमाह की समयवधि में भुगतान न किया जाना

मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग क्रमांक एफ-5/4/2005/नि./चार दिनांक 29.6.05 निर्देश जारी किये गये हैं कि सेवा निवृत्त शासकीय सेवक के सा.भ.नि. अंतिम भुगतान के प्रकरणों में अनावश्यक विलम्ब के कारण सेवानिवृत्त कर्मचारी न्यायालय की शरण लेते हैं तथा आहरण अधिकारी एवं वरिष्ठ अधिकारियों को प्रतिवादी बनाते हैं, इस कारण अनावश्यक श्रम एवं समय लगता है तथा शासन पर कई मामलों में वित्तीय भार भी आता है। इसके अलावा विलम्ब से उक्त भुगतान के परिणामस्वरूप सेवानिवृत्त कर्मचारियों को आर्थिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है तथा ब्याज की राशि की हानि भी उठानी पड़ती है ।

निरीक्षण के दौरान पाया गया कि परिशिष्ट संख्या-15 में दर्शाये गये कोषालयों द्वारा महालेखाकार कार्यालय द्वारा जारी कुल 157 प्राधिकार पत्रों पर राशि ₹ 19.77 लाख का भुगतान आहरण अधिकारियों से समन्वय करके जारी होने के दिनांक से छःमाह की (वैधता) अवधि में भी नहीं किया गया तथा किन्हीं में पुनर्वैधीकरण की कार्यवाही भी लंबित पाई गयी।

3.4.8 सामान्य भविष्य निधि के अंतर्गत लेन देनों का गलत वर्गीकरण

कोषालय निरीक्षण के दौरान कोई प्रकरण संज्ञान में नहीं आया है ।

3.4.9 सामान्य भविष्य निधि/गृह निर्माण अग्रिम/मोटर वाहन अग्रिम से संबंधित अनुसूचियां/चालानों का प्रस्तुत न किया जाना

कोषालय निरीक्षण के दौरान कोई प्रकरण संज्ञान में नहीं आया है ।

3.4.10 सामान्य भविष्य निधि अंतिम भुगतान प्राधिकार पत्रों का भुगतान विभागीय भविष्य निधि से किया जाना

कोषालय निरीक्षण के दौरान कोई प्रकरण संज्ञान में नहीं आया है ।

3.5 बिल एवं लेखा से संबंधित क्षेत्र

3.5.1 जिला ग्रन्थालय संस्था द्वारा अनिवार्य बचत योजना लेखा से अनियमित आहरण

कोषालय निरीक्षण के दौरान कोई प्रकरण संज्ञान में नहीं आया है ।

3.5.2 ए.सी. बिलों के विरुद्ध डी.सी. बिल प्रस्तुत न किया जाना

उन आकस्मिक व्यय को छोड़कर जिनके लिये भुगतान के पूर्व प्रतिहस्ताक्षर अपेक्षित हैं, इस समूह के अधीन आने वाले आकस्मिक प्रभारों को कोषालय से प्रपत्र एम.पी.टी.सी. 35 पर संक्षिप्त देयक प्रस्तुत कर आहरण किया जा सकता है, बशर्ते कि नियंत्रण अधिकारियों को प्रतिहस्ताक्षरार्थ

तथा पश्चात विहित विधि के अनुसार महालेखाकार को भेजने हेतु विस्तृत देयक प्रस्तुत किये जायें।

मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग द्वारा दि० 02.9.99 से ए.सी. बिलों पर आहरण पर रोक लगाई गई है, परन्तु उपसंचालक राष्ट्रीय क्रेडिट कोर (मुख्य शीर्ष 2204) को ए.सी. बिलों पर आहरण दिनांक 31.3.2013 तक अनुमति दी गई है।

समीक्षा वर्ष 2011-12 के दौरान मुख्य शीर्ष 2204 के अंतर्गत राशि ₹ 512350.00 के ए.सी. बिलों द्वारा आहरण किया जाना पाया गया जिसके विरुद्ध कुल राशि ₹ 19805957.00 के डी.सी. बिल प्राप्त हुये जिसमें पूर्व वर्षों के डी.सी. बिलों की राशि भी शामिल है। तथा शेष राशि ₹ 194507251.00 के डी.सी.बिल अप्राप्त हैं

3.5.3 पेंशनरों से स्रोत पर आयकर की कटौती न किया जाना

कोषालय निरीक्षण के दौरान कोई प्रकरण संज्ञान में नहीं आया है।

3.5.4 स्रोत पर आयकर की कटौती से संबंधित शासन-निर्देश का पालन न किया जाना

कोषालय निरीक्षण के दौरान कोई प्रकरण संज्ञान में नहीं आया है।

3.5.5 विभागीय प्राप्ति एवं भुगतानों का सत्यापन कोषालयीन अभिलेख से न किया जाना

मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग क्रमांक 1889/ 1843/2001/सी/चार, दि. 5.10.01 में दिये गये निर्देशों के अनुसार कार्यालय प्रमुखों द्वारा कोषालयों/बैंकों में चालान द्वारा समस्त जमा राशि की प्रतिमाह पुष्टि कराई जाना अनिवार्य होगा। इसी प्रकार वित्त विभाग क्रमांक 2570/ 3359/2000/सी/चार, दिनांक 12.12.2000 में दिये गये निर्देशों के अनुसार राज्य शासन के कार्यालय प्रमुखों द्वारा कोषालय से किये गये समस्त आहरणों की प्रतिमाह पुष्टि/प्रमाणीकरण कराई जाना अनिवार्य किया गया है।

निरीक्षण के दौरान पाया गया कि परिशिष्ट संख्या-16 में दर्शाये गये 34 कोषालयों एवं अधीनस्थ उपकोषालयों द्वारा राज्य शासन के उक्त निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है।

3.5.6 जमा शेषों के धन ऋण ज्ञापन में त्रुटि के फलस्वरूप ऋणात्मक शेष

कोषालय निरीक्षण के दौरान कोई प्रकरण संज्ञान में नहीं आया है।

3.5.7 कर्ज एवं जमा शीर्षों के अंतर्गत लेन देनों का गलत वर्गीकरण

मध्य प्रदेश कोष संहिता भाग एक के सहायक नियम 501 के अनुसार वन विभाग के अधिकारियों द्वारा प्राप्त राशियां यथाशक्य शीघ्र निकटतम कोषालय में वन प्रेषण के समान जमा हेतु भेजी जाना चाहिये। इसी प्रकार राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतन से स्रोत पर काटी

गई आयकर की राशि (टी.डी.एस.) को शीर्ष 8658-112 के अंतर्गत प्रथमतः दर्ज कर महालेखाकार को लेखा भेजा जाना चाहिये ।

निरीक्षण के दौरान परिशिष्ट संख्या-17 में दर्शाये अनुसार 5 कोषालयों द्वारा वन प्रेषण तथा आयकर की प्राप्ति राशि ₹ 529093.00 का गलत वर्गीकरण कर लेखा भेजा जाना पाया गया ।

3.5.8 आहरण एवं संवितरण अधिकारी वार आवंटन पत्रों का कोषालय में उपलब्ध न होना

आहरण एवं संवितरण अधिकारी वार बजट आवंटन आयुक्त कोष एवं लेखा मध्य प्रदेश भोपाल के कार्यालय स्थित केन्द्रीय सर्वर में दर्ज है तथा आहरण एवं संवितरण अधिकारी वार आवंटन के अंतर्गत आहरण/व्यय का नियंत्रण भी केन्द्रीय सर्वर से किया जाता है ।

3.5.9 कोषालय नियम 27 (टी.आर. 27) के अंतर्गत अनियमित आहरण तथा आहरित राशियों का समायोजन न होना

मध्य प्रदेश कोष संहिता भाग एक के नियम 27 के अनुसार आवश्यकता की परिस्थितियों में कलेक्टर लिखित आदेश द्वारा इन नियमों के उपबंधों का पालन किये बगैर कोषालय अधिकारी को पेंशन भुगतान को छोड़कर, कोई भी भुगतान करने के लिये अधिकृत कर सकता है । ऐसे प्रकरण में कलेक्टर अपने आदेश की प्रति तथा ऐसी परिस्थितियां दर्शाने वाला प्रपत्र तुरन्त महालेखाकार को भेजेगा तथा कोषालय अधिकारी भुगतान की सूचना तुरन्त महालेखाकार को देगा। इन नियमों के अधीन विशेष अधिकारों का प्रयोग करने की आवश्यकता सामान्य परिस्थितियों में नहीं होनी चाहिये। ऐसी शक्तियों का प्रयोग असामान्य परिस्थितियों में किया जाना चाहिये जैसे- बाढ़, भूकम्प तथा ऐसे ही अन्य कारण ।

निरीक्षण के दौरान परिशिष्ट संख्या-18 में दर्शाये गये कोषालयों/उपकोषालयों के अंतर्गत आने वाले विभिन्न आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा उक्त नियम के अंतर्गत आहरित कुल राशि ₹ 1.74 करोड़ का समायोजन जो आहरण से एक माह के अंदर होना चाहिये था, लंबित पाया गया ।

3.5.10 बजट अनुदानों को व्यपगत होने से बचाने हेतु राशियों का अनियमित आहरण

मध्य प्रदेश कोषालय संहिता भाग एक के सहायक नियम 284 के अनुसार कोई भी राशि कोषालय से तब तक आहरित नहीं की जायेगी जब तक कि तत्काल वितरण की जाना अपेक्षित न हो, मांग की प्रत्याशा में या बजट अनुदानों को व्यपगत होने से बचाने हेतु कोषालय से पेशगी निकालना गंभीर अनियमितता है, तथा ऐसे आहरण के लिए दोषी व्यक्ति स्वयं अनुशासनिक कार्यवाही का भागी होगा ।

निरीक्षण के दौरान पाया गया कि परिशिष्ट संख्या-19 में दिये गये विवरण अनुसार विभिन्न कोषालयों के अंतर्गत आहरण अधिकारियों द्वारा उनको वर्ष 2010-11 में विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत

आवंटित संपूर्ण राशि/अखर्चित राशि को माह मार्च, 2011 में एक मुश्त अग्रिम आहरण कर राशि को व्यक्तिगत जमा खाते अथवा बैंक खाते में जमा किया गया ताकि राशि का व्यय/उपयोग आगामी वर्ष में सुविधानुसार किया जा सके । चूंकि राशि का व्यय वर्ष 2010-11 में किया जाना था परंतु राशि अखर्चित रहने पर व्यक्तिगत जमा/बैंक खाते में जमा करने से अनियमितता की गई है। इस प्रकार कोषालयों द्वारा कुल राशि ₹ 757.49 करोड़ का अनियमित भुगतान किया गया ।

3.5.11 भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार दो पासबुकों का संधारण न किया जाना

भारतीय रिजर्व बैंक में विभिन्न स्तरों से प्राप्त होने वाले राज्य शासन के आय व्यय के आंकड़ों के अंतर को दूर करने के उद्देश्य से आर.बी.आई. के परिपत्र संख्या डी.जी.बी.ए.जी.ए.डी. /1377 /31.4.008 /2002-03 /02.2.03 एवं पत्रक.सं.बैं.ले.नि.जी.ए.डी.एच.698 /31.4.008 /2002-03 /17.6.03 के द्वारा दो पासबुक क्रमशः कोषालय एवं एजेंसी बैंक स्तर पर राज्य शासन के आय व्यय के आंकड़े प्रतिदिन सतत रूप से दर्ज करने तथा परस्पर सत्यापन के उद्देश्य से संधारित करने के निर्देश हैं । प्रत्येक माह पासबुक के 'ए' साइड पर बैंक स्तर व 'बी' साइड पर कोषालयीन अभिलेख से आय व्यय के आंकड़े दर्ज करने हेतु निर्धारित किये गये हैं जिसका परस्पर सत्यापन भी किया जाना चाहिये ।

समीक्षा वर्ष 2011-12 में निरीक्षण के दौरान परिशिष्ट संख्या-20 में दर्शाये गये 34 कोषालय तथा अधीनस्थ उपकोषालयों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के उक्त निर्देशों का पालन न किया जाना पाया गया ।

3.5.12 बिना वित्त विभाग की स्वीकृति के खोले गये बैंक खातों में जमा राशि पर 2 प्रतिशत दण्ड राशि की वसूली न किया जाना

मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग के पत्र क्र. एफ-11-1/2009/नियम/चार दि.10.2.09 एवं क्र./एफ८/८/2009/नियम/चार भोपाल, दिनांक 12.5.09 के माध्यम से विभिन्न विभागीय अधिकारियों द्वारा वित्त विभाग की अनुमति के बिना खोले गये बैंक खातों में जमा शेष राशियों को शासन के खाते में दिनांक 28.2.09 तक अनिवार्य रूप से जमा करने तथा उक्त दिनांक तक राशि को शासकीय लेखे में जमा न करने पर विलम्ब अवधि हेतु संबंधितों पर 2 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से अर्धदण्ड आरोपित करने के निर्देश दिये गये थे ।

निरीक्षण के दौरान परिशिष्ट संख्या-21 में दर्शाये गये कोषालयों के अंतर्गत विभिन्न विभागीय अधिकारियों के वित्त विभाग की अनुमति के बिना खोले गये बैंक खातों में दिनांक 28.2.09 के पश्चात भी जमा शेष पाया गया। जिस पर 2 प्रतिशत प्रतिमाह अर्धदण्ड राशि ₹3457665.

00 (संबंधित कोषालयों की निरीक्षण अवधि तक गणना में ली गई अवधि में) की वसूली न किया जाना पाया गया ।

3.5.13 निर्माण विभागों/सिविल विभागों द्वारा आवंटन से अधिक व्यय किया जाना

मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग के पत्र क्रमांक 263/आर-190/चार/ब-1/07 दि.11.3.07 में निर्देश है कि निर्माण विभागों में 01.4.07 से साख पत्र प्रणाली समाप्त कर निर्माण विभागों को बजट आवंटन कोषालय के माध्यम से उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है वित्त विभाग द्वारा प्रारम्भ में बजट नियंत्रण अधिकारी को बजट आवंटन दिया जावेगा जिसे उसके द्वारा कार्यपालन यंत्री को पुर्नआवंटित किया जावेगा बजट नियंत्रण अधिकारी पुर्नआवंटन आदेश की लिखित तथा सॉफ्ट प्रति संचालनालय को./ले. को उपलब्ध करायेगा जिसे संचालनालय केन्द्रीय सर्वर पर इन्द्राज करायेगा पुर्नआवंटन की एक प्रति कोषालय को भी दी जावेगी । बजट नियंत्रण अधिकारी द्वारा पुर्नआवंटन आदेश में राजकोष से धनराशि आहरण हेतु कार्यपालन यंत्रियों की माहवार सीमा भी निर्धारित की जावेगी ।

निरीक्षण के दौरान परिशिष्ट संख्या-22 में दर्शाये गये कोषालयों के अंतर्गत विभिन्न निर्माण संभागों द्वारा वित्त वर्ष 2010-11 में आवंटित राशियों से ₹ 1.75 करोड़ का अधिक व्यय किया जाना पाया गया ।

3.5.14 बिना बजट प्रावधान के पिछले वर्ष के अखर्चित/असंवितरित राशि को प्राप्ति शीर्ष में जमा करना

मध्य प्रदेश शासन द्वारा सेवा शीर्षों के प्राप्ति एवं भुगतान पक्ष में वार्षिक बजट प्रावधान किया जाता है तथा तदानुसार वर्ष में व्यय पर नियंत्रण रखा जाता है । मध्य प्रदेश शासन द्वारा मुख्य शीर्ष 0250-अन्य सामाजिक सेवायें, 102-अनुसूचित जाति/अ.ज.जा./ पि. वर्ग के कल्याण के अंतर्गत वर्ष 2010-11 में किये गये बजट प्रावधान (जो नगण्य के बराबर है) के विरुद्ध परिशिष्ट संख्या-23 में दर्शाये गये 2 कोषालयों में कुल राशि ₹ 0.96 करोड़ की प्राप्ति होना पाया गया है जो वास्तव में पूर्व के वर्षों में व्यय हेतु आवंटित अखर्चित राशि को एक मुश्त आहरण कर अन्यत्र रखी गई थी । उक्त राशि का संबंधित वर्ष में व्यय न होने पर वर्ष 2011-12 में मुख्य शीर्ष 0250 के अंतर्गत चालान द्वारा जमा कराया जाना पाया गया ।

3.5.15 वित्त विभाग की स्वीकृति प्राप्त करने से बचने के लिये राशियों को विभक्त कर भुगतान किया जाना

मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रमांक एल 17/219/आर/न-7/चार/2009/546 दिनांक 28.4.2009 के अनुसार रूपये 1 करोड़ से अधिक राशि के प्रत्येक बैंक/आहरण के लिए वित्त विभाग की अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है ।

निरीक्षण के दौरान पाया गया कि परिशिष्ट संख्या – 24 में दिये गये विवरण अनुसार दो कोषालयों के अंतर्गत राशि ₹ 18.84 करोड़ का आहरण वित्त विभाग की अनुमति से बचने के लिये 11 बिलों/व्हाउचरों के माध्यम से विभक्त कर किया गया है ।

3.6 जमा खातों की अभिरक्षा

3.6.1 महालेखाकार कार्यालय को व्यपगत जमा पत्रक न भेजा जाना

वर्ष 2011-12 में निरीक्षण के दौरान परिशिष्ट संख्या 25 में दर्शाये गये 30 कोषालयों एवं अधीनस्थ उपकोषालयों द्वारा व्यपगत जमा पत्रक महालेखाकार कार्यालय को भेजा जाना नहीं पाया गया ।

3.6.2 तीन वर्ष से अधिक समय से अदावाकृत राजस्व जमा की राशि व्यपगत न किया जाना

मध्य प्रदेश कोष संहिता भाग एक के सहायक नियम 562 के प्रावधान अनुसार एक पूर्ण लेखा वर्ष तक दावा न किये गये ₹. 25.00 से अनाधिक की जमा राशियों को, वित्त वर्ष में अंशतः वापस भुगतान की गई जमा राशि के पश्चात शेष बची पच्चीस रुपये से अनधिक की जमा राशियाँ, तथा तीन पूर्ण लेखा वर्षों से भी अधिक समय तक अवशिष्ट समस्त अदावाकृत शेष राशियों को प्रतिवर्ष मार्च माह की समाप्ति पर महालेखाकार के कार्यालय में अंतरण प्रविष्टियों के माध्यम से शासन के खाते में व्यपगत किया जावेगा । इस तरह व्यपगत हुए निक्षेपों एवं शेषों की प्रपत्र एम.पी.टी.सी. 71 में एक सूची 31 मार्च के पश्चात तत्काल कोषालय अधिकारी द्वारा महालेखाकार को प्रस्तुत किया जाना चाहिये ।

निरीक्षण के दौरान पाया गया कि परिशिष्ट संख्या-25 में दिये गये विवरण अनुसार कोषालयों/उपकोषालयों द्वारा राजस्व निक्षेप की तीन लेखा वर्षों से अधिक समय से अदावाकृत राशि ₹ 16.20 करोड़ को नियमानुसार शासन के खाते में व्यपगत नहीं किया गया ।

3.6.3 व्यक्तिगत जमा लेखे में त्रुटिपूर्ण/गलत संचालन का प्रकरण

(प) वित्त विभाग की स्वीकृति के बिना एक से अधिक व्यक्तिगत जमा खाता खोलना

मध्य प्रदेश कोष संहिता भाग एक के सहायक नियम 533 के नीचे अंकित मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग के पत्र क्रमांक एफ-1/2003/नियम/4 दि. 7.6.2003 के अनुसार कोषालय में व्यक्तिगत निक्षेप खाता खोले जाने के लिये वित्त विभाग की सहमति आवश्यक है । शासन के किसी भी विभाग अथवा प्राधिकारी को अपने स्तर पर कोषालय में पी.डी. खाता खोलने के आदेश देने का अधिकार नहीं है ।

निरीक्षण के दौरान पाया गया कि परिशिष्ट संख्या 26 में दर्शाये गये कोषालयों में विभिन्न आहरण अधिकारियों के एक से अधिक पी.डी. खाते वित्त विभाग की स्वीकृति के बिना संधारित है ।

(पप) राज्य की समेकित निधि को विकलन द्वारा निर्मित व्यक्तिगत निक्षेप खातों को वित्त वर्ष की समाप्ति पर बन्द न किया जाना

मध्य प्रदेश कोष संहिता भाग एक के सहायक नियम 543 के अनुसार ऐसे व्यक्तिगत निक्षेप खाते जो शासन की समेकित निधि को विकलन द्वारा निर्मित किये जाते हैं, वित्त वर्ष की समाप्ति पर समेकित निधि के सेवा शीर्ष में ऋणनामों कर बन्द किये जाने चाहिये । यदि आवश्यकता पड़ती है तो खातों को पुनः सामान्य रीति से अगले वित्तीय वर्ष में खोला जा सकता है ।

निरीक्षण के दौरान पाया गया कि परिशिष्ट संख्या 27 में दर्शाये गये विभिन्न कोषालयों में संधारित व्यक्तिगत निक्षेप खाते जिनमें समेकित निधि को विकलित कर राशि जमा कराई गई थी को वर्ष के अन्त में उक्त नियम के प्रावधान अनुसार ऋण नामों देकर बन्द नहीं किया गया है । इस प्रकार दिनांक 31.3.11 की स्थिति में राशि ₹ 87.75 करोड़ को अवरुद्ध रखा जाना पाया गया ।

3.6.4 कार्यपालन अभियंता (पंचायत राज) एवं कार्यपालन अभियंता (ग्रामीण जल प्रदाय) द्वारा कोषालय में व्यक्तिगत जमा लेखे का अनियमित संधारण

कोषालय निरीक्षण के दौरान कोई प्रकरण संज्ञान में नहीं आया है ।

3.6.5 व्यक्तिगत जमा लेखे में प्रतिकूल शेष पाया जाना

कोषालय निरीक्षण के दौरान कोई प्रकरण संज्ञान में नहीं आया है ।

3.6.6 तीन वर्ष से अधिक समय से अप्रचलित व्यक्तिगत लेखों की सूची

मध्य प्रदेश कोषालय संहिता भाग एक के सहायक नियम 543 के अनुसार यदि व्यक्तिगत लेखा लगातार 3 वर्षों से अधिक अवधि से निष्प्रभावी रखा गया है तो कोषालय अधिकारी लिखित रूप में लेखा के प्रशासक को संबोधित करते हुए एक नोटिस जारी करेगा कि एक माह के अन्दर कारण बतायें कि लेखा के शेष को क्यों न राजस्व में जमा किया जावे । यदि प्रशासक का पता नहीं चले, या वह एक माह में प्रतिउत्तर देने में असफल रहता है अथवा कोषालय अधिकारी को व्यक्तिगत जमा लेखा निरंतर चालू रखने के बारे में औचित्य बताने में असफल रहता है तो कोषालय अधिकारी द्वारा महालेखाकार की पुस्तक से शेष का मिलान तथा सत्यापन कराने के पश्चात महालेखाकार को मांग पत्र भेजकर संबंधित प्रशासक के व्यक्तिगत जमा लेखा के शेष को राजस्व जमा में जमा करेगा

निरीक्षण के दौरान पाया गया कि परिशिष्ट संख्या 28 में दर्शाये गये विभिन्न कोषालयों में संधारित व्यक्तिगत जमा खातों में तीन वर्ष से अधिक समय से कोई लेन देन न होने के बावजूद भी 41 कोषालयों एवं अधीनस्थ उपकोषालयों में संधारित 291 व्यक्तिगत जमा खातों में जमा शेष

राशि ₹136.39 करोड़ को राजस्व निक्षेप के अंतर्गत अंतरण करने की कोई कार्यवाही नहीं की गई है ।

3.6.7 व्यक्तिगत जमा लेखे के प्रशासकों से अवशेष सहमति प्रमाण पत्र प्राप्त न होना

मध्य प्रदेश कोष संहिता भाग एक सहायक नियम 590 के प्रावधानों के तहत प्रत्येक व्यक्तिगत जमा खाता प्रशासक से वित्त वर्ष के अन्त में वार्षिक अवशेष प्रमाण पत्र प्राप्त कर तथा कोषालयीन अभिलेख से मिलान पश्चात सत्यापन कर कार्यालय महालेखाकार को मार्च लेखे के साथ भेजना चाहिये साथ ही अभिलेख में वार्षिक प्रमाण पत्र अनुसार शेष भी अंकित कर सत्यापन कराया जाना चाहिये ।

समीक्षा वर्ष 2011-12 में पाया गया कि परिशिष्ट संख्या-29 में दर्शाये गये कोषालयों में संधारित कुल 916 व्यक्तिगत खातों में से केवल 63 खाताधारकों से अवशेष प्रमाण पत्र प्राप्त हुये हैं जबकि 853 खाताधारकों से अवशेष प्रमाण पत्र वर्ष के अन्त तक वांछित रहे ।

3.6.8 दसवीं वित्त आयोग/ग्यारहवीं वित्त आयोग के अनुदानों के अंतर्गत अखर्चित/अनुपयोगी राशि

कोषालय निरीक्षण के दौरान कोई प्रकरण संज्ञान में नहीं आया है ।

3.6.9 केन्द्र द्वारा राज्य को निधि का पुर्नआवंटन हेतु "प्रोत्साहन निधि" के अंतर्गत ग्यारहवीं वित्त आयोग के अनुदानों का पुर्नआवंटन न करना

कोषालय निरीक्षण के दौरान कोई प्रकरण संज्ञान में नहीं आया है ।

3.6.10 धन ऋण पत्रकों का प्रस्तुत न करना

कोषालय निरीक्षण के दौरान कोई प्रकरण संज्ञान में नहीं आया है ।

3.6.11 जमा शीर्षों के अंतर्गत वार्षिक अवशेष प्रस्तुत न करना

कड़िका क्रमांक 3.6.7 के अनुसार

3.6.12 प्रचलित पी.एल.ए. (व्यक्तिगत पंजी लेखे)/पी.डी. लेखों का संवरण न करना

कड़िका क्रमांक 3.6.6 के अनुसार

3.6.13 राजस्व जमा पंजी में प्रत्येक तिमाही के अंतराल में जांच किये जाने का प्रमाण पत्र अंकित न पाया जाना

मध्य प्रदेश कोष संहिता भाग एक के सहायक नियम 559 के अनुसार प्रत्येक तिमाही के अंत में प्रपत्र एम.पी.टी.सी. 64 में संधारित की गई राजस्व निक्षेप प्राप्ति की पंजी में जिलाध्यक्ष अथवा इस हेतु नामांकित किये गये कोई राजपत्रित अधिकारी (जो कि कोषालय अधिकारी नहीं हो) द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र कि उसने व्यक्तिगत रूप से सावधानीपूर्वक पंजी की जांच

पड़ताल कर ली है तथा यह कि समस्त प्रविष्टियां अत्यंत सावधानी से तथा नियमित रूप से की गई हैं, अभिलिखित किया जाना चाहिये ।

निरीक्षण के दौरान परिशिष्ट संख्या-30 में दर्शाये गये 06 कोषालयों एवं अधीनस्थ उपकोषालयों के राजस्व पंजी की जांच करने पर उक्त आशय का प्रमाण पत्र अंकित किया जाना नहीं पाया गया ।

3.6.14 सिविल न्यायालय जमा खातों के न्यायालयीन अभिलेख एवं कोषालयीन अभिलेख में अंतर

मध्य प्रदेश कोष संहिता भाग एक के सहायक नियम 582 के अनुसार सिविल न्यायालय निक्षेप खातों के प्राप्तियों एवं भुगतानों की सार पंजी वापसी प्रमाणकों सहित महालेखाकार को कोषालय प्रभारी अधिकारी के माध्यम से भेजी जाना चाहिये, जो पंजियों को महालेखाकार को प्रेषित करने के पूर्व कोषालय अंकों के साथ प्राप्तियों एवं वापसियों के योग को सहमत होने का सत्यापन करेगा । कोषालय अधिकारी अपने व्यक्तिगत निक्षेपों (प्रपत्र एम.पी.टी.सी.75) की सार पंजी के नीचे दिखाये गये शेष को नाजिर के सिविल न्यायालय निक्षेपों की पंजियों में दिखाये गये शेष के साथ सहमत होना भी सत्यापित करेगा । यदि कोई भिन्नता हो, तो कोषालय अधिकारी द्वारा पंजियों में सुधार करने हेतु लौटा दिया जाना चाहिये ।

निरीक्षण के दौरान पाया गया कि परिशिष्ट संख्या-31 में दर्शाये गये विवरण अनुसार कोषालयीन/ उपकोषालयीन तथा न्यायालयीन अभिलेख में दर्ज राशियों में पाये गये अन्तर राशि □ 18.31 करोड़ का बिना निराकरण किये लेखा महालेखाकार को प्रस्तुत किया गया है ।

3.6.15 व्यक्तिगत निक्षेप खातों के धन ऋण पत्रक में दर्शाये गये शेष एवं प्रशासक से प्राप्त वार्षिक प्रमाण पत्र अनुसार शेषों में अंतर पाया जाना

मध्य प्रदेश कोष संहिता भाग एक के सहायक नियम 590 के अनुसार प्रत्येक वैयक्तिक खाता लेखा के प्रशासकों से एक वार्षिक प्रमाण पत्र इस आशय कि उनके द्वारा दावा किया गया व शेष नामित लेखा के है महालेखाकार को प्रस्तुत किया जाना चाहिये । यदि उनके शेष तथा माह मार्च हेतु धन ऋण ज्ञापन में दर्शाये गये के मध्य यदि कोई भिन्नता हो तो स्पष्ट किया जाना चाहिये ।

परिशिष्ट संख्या-32 में दर्शाये गये कोषालयों/उपकोषालयों में संधारित व्यक्तिगत जमा खाताधारकों द्वारा प्रदाय वार्षिक अवशेष प्रमाण पत्रों अनुसार शेष राशि तथा कोषालय द्वारा महालेखाकार को भेजे गये धन ऋण पत्रक में अंकित राशि में □ 92.11 लाख का अंतर पाया गया ।

3.6.16 व्यक्तिगत निक्षेप खातों में जमा/आहरित राशि का केन्द्रांश राज्यांश तथा शीर्ष के योजनावार स्तर तक वर्गीकरण कर संधारित न किया जाना।

संचालनालय कोष एवं लेखा म.प्र. भोपाल के पत्र क्र0/न.को.ले./क.क./कोष/04/ 591 दिनांक 02.03.2004 के अनुसार निर्देश जारी किये गये थे कि 01.07.2004 से व्यक्तिगत निक्षेप खातों में जमा/आहरित कुल राशि का योजनावार शीर्ष स्तर तक विवरण संधारित किया जावे।

निरीक्षण के दौरान परिशिष्ट संख्या-33 में दर्शाये गये 37 कोषालयों में संधारित व्यक्तिगत जमा खातों में जमा/आहरित राशि का केन्द्रांश, राज्यांश तथा शीर्ष के योजनावार स्तर तक वर्गीकरण कर संधारित किया जाना नहीं पाया गया।

3.6.17 वित्त विभाग की पूर्व स्वीकृति के बिना शीर्ष 8443-800 के अंतर्गत किये गये अनाधिकृत लेन देन

मध्य प्रदेश शासन भोपाल के पत्र क्रमांक 24/चार/ब-1/1/93 दिनांक 07.1.93 के अनुसार मुख्य शीर्ष 8443 सिविल जमा 800 के अंतर्गत कोई भी लेन देन वित्त विभाग की स्वीकृति के पश्चात किया जाना चाहिये।

निरीक्षण के दौरान पाया गया कि परिशिष्ट संख्या-34 में दर्शाये कोषालयों के अंतर्गत राशि ₹ 389619.00 (जमा) एवं निरंक (आहरण) का लेन देन बिना वित्त विभाग की स्वीकृति के किया गया है।

3.6.18 महालेखाकार कार्यालय तथा कोषालय में संधारित पी.डी. खातों के शेषों में अंतर पाया जाना

मध्य प्रदेश कोष संहिता भाग एक के सहायक नियम 558 में दिये गये प्रावधान अनुसार प्रत्येक कोषालय अधिकारी द्वारा व्यक्तिगत जमा खातों से संबंधित धन ऋण पत्रक तैयार कर प्रत्येक माह मासिक लेखे के साथ महालेखाकार कार्यालय को प्रेषित किया जाता है, जिसके आधार पर महालेखाकार कार्यालय द्वारा कोषालयवार पी.डी. खाता संधारित किया जाता है।

वर्ष 2011-12 में निरीक्षण के दौरान परिशिष्ट संख्या-35 में दिये गये विवरण अनुसार कोषालयों में संधारित पी.डी. खातों में महालेखाकार कार्यालय के अभिलेख एवं कोषालय के अभिलेख अनुसार शेषों में राशि ₹ 72.93 करोड़ का अंतर पाया गया।

3.7 चैकों का लेन देन

3.7.1 वैधता अवधि समाप्त हुये चैकों का मासिक पत्रक महालेखाकार कार्यालय न भेजना

समीक्षा वर्ष 2011-12 में निरीक्षण के दौरान परिशिष्ट संख्या 36 में दिये गये विवरण अनुसार दिनांक 31.3.11 के पश्चात राशि ₹ 1.51 करोड़ के 213 चैक जिनकी वैधता अवधि दिनांक 31.3.11 तक थी का भुगतान न होना पाया गया। परंतु उक्त चैकों का व्यपगत पत्रक महालेखाकार कार्यालय को भेजा जाना नहीं पाया गया है।

3.7.2 कोषालयों के चैक अनुभागों द्वारा जारी चैकों में अनियमितताएं

समीक्षा वर्ष 2011-12 के दौरान पाया गया कि परिशिष्ट संख्या-37 में दर्शाये गये विवरण अनुसार कोषालयों द्वारा जारी चैक, नष्ट चैक, व्यपगत चैक आदि का धनऋण पत्रक त्रुटिपूर्ण तैयार कर महालेखाकार को भेजे गये हैं । धनऋण पत्रक में अंतशेष चैक तथा तत्संबंधित राशि ऋणात्मक दर्शायी गयी है अर्थात् जारी चैकों से अधिक चैकों का नगदीकरण किया जाना दर्शाया गया है । प्रतिउत्तर में उक्त स्थिति कम्प्यूटर प्रणाली में खराबी होने से उत्पन्न होना बताया गया है ।

3.7.3 अनगदीकृत चैकों का प्रतिवेदन तैयार न करना

कोषालय निरीक्षण के दौरान कोई प्रकरण संज्ञान में नहीं आया है ।

3.7.4 अनगदीकृत चैकों का समायोजन ज्ञापन महालेखाकार कार्यालय को न भेजना

कोषालय निरीक्षण के दौरान कोई प्रकरण संज्ञान में नहीं आया है ।

3.7.5 दिनांक 25.3.09 से 04.4.09 के मध्य आहरित राशि का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक के रूप में रखने पर ब्याज राशि की वसूली न करना

कोषालय निरीक्षण के दौरान कोई प्रकरण संज्ञान में नहीं आया है ।

3.7.6 अप्रचलित चैकबुकों का विनष्टीकरण नहीं किया जाना

कोषालय निरीक्षण के दौरान कोई प्रकरण संज्ञान में नहीं आया है ।

3.7.7 अनाधिकृत चैकों/धनादेशों को व्यपगत न किया जाना

संचालनालय के पत्र क्र. सी.टी.ए./एफ.डी.पी./कम्प्यू/04/3354 दिनांक 28.3.05 में निर्देश है कि जी.पी.एफ./जी.आई.एस. एवं पेंशन संबंधी चैकों को छोड़कर कोषालय के कम्प्यूटर से जारी चैक की वैधता अवधि 31 मार्च या एक माह जो भी पहले हो रहेगी ।

समीक्षा वर्ष 2011-12 में परिशिष्ट संख्या-36 में दर्शाये गये विवरण अनुसार चार कोषालयों के अंतर्गत 213 चैक राशि ₹ 1.51 करोड़ का अनगदीकृत चैकों/धनादेशों का वैधता अवधि समाप्ति के बाद भी व्यपगत नहीं किया जाना पाया गया है ।

3.8 कोषालयों में सुरक्षा

3.8.1 (प) दृढ़ कक्ष से संबंधित उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त न किया जाना

मध्य प्रदेश कोष संहिता भाग एक के सहायक नियम 90(2) के अनुसार विद्यमान दृढ़कक्ष का वार्षिक निरीक्षण कार्यपालन यंत्री द्वारा अथवा किसी अनुभवी सहायक यंत्री के द्वारा जिसे इस प्रयोजन हेतु प्रतिनियुक्त किया गया है, किया जाना चाहिये । निरीक्षणकर्ता अधिकारी सुरक्षा का एक प्रमाण पत्र प्रदान करेगा तथा कोषालय अधिकारी का यह कर्तव्य है कि वह प्रति वर्ष ऐसा प्रमाण पत्र प्राप्त कर कोषालय में उपलब्ध रखें ।

निरीक्षण के दौरान पाया गया कि परिशिष्ट संख्या-38 में दर्शाये गये 26 कोषालय एवं उनके अधीनस्थ उपकोषालयों द्वारा दृढ़ कक्ष से संबंधित वर्ष 2011-12 का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया गया है ।

(पप) कोषालय/उपकोषालय के सुदृढ़ कक्ष में पहरेदारों की स्थिति निर्धारित करने वाले बीट चार्ट न लगाये जाना

मध्य प्रदेश कोष संहिता भाग एक के सहायक नियम 90 (3) के अनुसार सुदृढ़ कक्ष के पहरे के दौरान संतरियों की स्थिति को दर्शाने वाला बीट चार्ट जिला आरक्षी अधीक्षक से प्राप्त कर सहजगोचर स्थान पर प्रदर्शित किया जाना चाहिये ।

परिशिष्ट संख्या-39 में दर्शाये गये 17 कोषालय एवं उनके अधीनस्थ उपकोषालयों में उक्त नियम के अनुसार बीट चार्ट प्राप्त कर प्रदर्शित किया जाना नहीं पाया गया ।

(पपप) कोषालय/उपकोषालय के सुदृढ़ कक्ष हेतु उपयोग में लाये गये अग्निशमन यंत्र में द्रव न भरा होना

कोषालय/उपकोषालय के सुदृढ़ कक्ष की अग्नि से सुरक्षा हेतु अग्निशमन यंत्र कार्यशील स्थिति में यथा स्थान पर स्थापित होना चाहिये । परंतु वर्ष 2011-12 में निरीक्षण के दौरान परिशिष्ट संख्या-40 में दर्शाये गये कुल 30 कोषालयों एवं उनके अधीनस्थ उपकोषालयों के सुदृढ़ कक्ष में रखे अग्निशमन यंत्र में द्रव रिफिलिंग न होने से कार्यशील स्थिति में नहीं पाया गया ।

(पअ) खजांची/भण्डार लिपिक से प्रतिभूति राशि जमा न कराई जाना

मध्य प्रदेश कोष संहिता भाग एक के सहायक नियम 20, 21 एवं 22 के तहत कोषालय में खजांची धनराशि के लेन देन के लिए उत्तरदायी होता है । कलेक्टर का यह देखने का कर्तव्य है कि खजांची ने शासन को हानि से बचाने हेतु यथोचित मात्रा में जमानत प्रस्तुत की है । आयुक्त कोष एवं लेखा के पत्र क्रमांक स्था./दो/12/87-98 दि. 24.1.97 द्वारा पुनरीक्षित किये जाने पर भण्डार लिपिक से रू. 3000.00 एवं रोकड़िया से रू. 5000.00 प्रतिभूति प्राप्त की जानी चाहिए ।

निरीक्षण के दौरान पाया गया कि परिशिष्ट संख्या-41 में दर्शाये गये 28 कोषालय एवं उनके अधीनस्थ उपकोषालयों द्वारा खजांची तथा भण्डार लिपिक से उक्त नियमानुसार प्रतिभूति राशि जमा नहीं करायी गई है ।

3.8.2 बहुमूल्य वस्तुओं को तीन वर्ष पश्चात कोषालय से वापस न लिया जाना

मध्य प्रदेश कोष संहिता भाग एक के सहायक नियम 47(पप) के नीचे टिप्पणी के अनुसार कोषालय अथवा उपकोषालय के कक्ष में रखी नगदी की तिजोरी/सीलबन्द लिफाफा, जमाकर्ता अधिकारी के द्वारा प्रथम जमा के दिनांक से तीन वर्ष के अंदर वापिस लिया जाना चाहिये । इसके पश्चात यदि जमाकर्ता तिजोरी/सीलबन्द लिफाफे को कोषालय/उपकोषालय में पुनः जमा करना उचित समझता है तो, उसे इस संबंध में प्रथम जमा की तरह कार्यवाही करना चाहिए ।

निरीक्षण के दौरान पाया गया कि परिशिष्ट संख्या-42 में दर्शाये गये कुल 43 कोषालय एवं उनके अधीनस्थ उपकोषालयों के दृढ़ कक्ष में रखे 14720 मूल्यवान वस्तुओं के पैकेट्स उनके प्रथम जमा के दिनांक से तीन वर्ष के उपरांत भी जमाकर्ता द्वारा वापिस नहीं लिये गये हैं ।

3.8.3 कोषालय/उपकोषालय के दृढ़ कक्ष में रखे विभागीय दोहरी चाबियों के पैकेट्स वर्ष के अंत में जांच हेतु वापस न लिया जाना

मध्य प्रदेश कोष संहिता भाग एक के सहायक नियम 85 के अनुसार विभागीय अधिकारियों द्वारा कोषालय/उपकोषालय के दृढ़ कक्ष में रखी गई दोहरी चाबियों के पैकेट्स जमाकर्ताओं द्वारा प्रतिवर्ष माह अप्रैल में जांच हेतु वापस लेना चाहिये ।

निरीक्षण के दौरान पाया गया कि परिशिष्ट संख्या-43 में दर्शाये गये 37 कोषालय एवं उनके अधीनस्थ उपकोषालय के दृढ़ कक्ष में रखी गई दोहरी चाबियों के कुल 1276 पैकेट्स को जमाकर्ता अधिकारी द्वारा माह अप्रैल, 2011 में जांच करने हेतु वापस नहीं लिये गये हैं, और न ही कोषालय/उपकोषालय अधिकारियों द्वारा इस बावत् प्रभावी कार्यवाही की गई है ।

3.9 मुद्रांक लेखों का संधारण

3.9.1 मुद्रांकों की प्राप्ति, अभिरक्षा, वितरण तथा विक्रय हेतु उपयुक्त पंजियों का संधारण न करना

सभी कोषालयों एवं उपकोषालयों में उक्त पंजियों का संधारण किया जाना पाया गया है परन्तु परिशिष्ट संख्या 49 में दर्शाये गये कोषालयों में संधारित मैनुअल मुद्रांक पंजियों तथा कम्प्यूटर में संधारित पंजियों के शेष में अंतर पाया गया है जिससे मुद्रांकों की वास्तविक शेष की स्थिति परिलक्षित नहीं होती ।

3.9.2 मुद्रांकों का आवश्यकता से अधिक भण्डारण

संचालनालय कोष एवं लेखा मध्य प्रदेश भोपाल के पत्र क्र.डी.टी.ए./ज-16/70-71/2394, दि. 9.4.71 के पैरा (8) के अनुसार कोषालय हेतु 15 माह के तथा उपकोषालय हेतु 3 माह के विक्रय हेतु आवश्यक स्टाम्प ही रखे जाने चाहिये ।

निरीक्षण के दौरान पाया गया कि परिशिष्ट संख्या-44 में दर्शाये गये विवरण अनुसार कोषालयों/ उपकोषालयों द्वारा राशि ₹ 297.70 करोड़ के मूल्य के मुद्रांकों का आवश्यकता से अधिक अनावश्यक भण्डारण रखा गया है ।

3.9.3 अप्रचलित मुद्रांकों का सुदृढ़ कक्ष में अनावश्यक भण्डारण

महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक मध्य प्रदेश के पत्र क्रमांक 27/स्टाम्प/2008 भोपाल दिनांक 03.1.2008 के साथ प्राप्त मध्य प्रदेश शासन वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना क्र. (40) बी 4-13-07-02-पांच दिनांक 15.11.2007 के निर्देशानुसार विभाग ने ऐसे नान

ज्यूडिशियल स्टाम्प जिन पर शब्द मध्य प्रदेश व क्रमांक मुद्रित न हो, का प्रदाय प्रतिबंधित किया गया था ।

परिशिष्ट संख्या 45 में दर्शाये गये विवरण अनुसार 15 कोषालयों एवं उपकोषालयों द्वारा राशि ₹ 15.92 करोड़ के अप्रचलित नान ज्यूडिशियल स्टाम्प तथा अन्य स्टाम्पों का दृढ़ कक्ष में अनावश्यक भण्डारण रखा जाना तथा इन मुद्रांकों के निराकरण हेतु आवश्यक कार्यवाही किया जाना नहीं पाया गया ।

3.9.4 मुद्रांक विक्रेताओं को न्यायिक मुद्रांक जारी कर अनाधिकृत रूप से कमीशन प्रदाय करना

मध्य प्रदेश कोषालय संहिता भाग एक के सहायक नियम 435 (अ) के अनुसार मुद्रांकों पर छूट मध्य प्रदेश मुद्रांक नियम 1942 के नियम 34 या न्यायालय शुल्क अधिनियम 1870 के अधीन मुद्रांकों का विक्रय विनियमित करने वाले नियमों के नियम 12 के अधीन निश्चित वर्गों के विक्रेताओं को अनुज्ञेय है । कोषालय अधिकारी के इस प्रमाण पत्र पर कि छूट वास्तविक रूप से पक्षकारों को जिन्हें वह देय थी, स्वीकृत नियमों के अनुसार पारित की गई है ।

निरीक्षण के दौरान पाया गया कि परिशिष्ट संख्या 46 में दर्शाये गये विभिन्न कोषालय/ उपकोषालय द्वारा संधारित न्यायिक मुद्रांकों की कमीशन पंजी तथा मुद्रांक विक्रेताओं के लायसेंसों की जांच में पाया गया है कि न्यायकेत्तर मुद्रांकों के विक्रय हेतु भारतीय मुद्रांक अधिनियम 1899 के अधीन प्राप्त लायसेंस धारक मुद्रांक विक्रेताओं को ही, न्यायिक मुद्रांक अनाधिकृत रूप से जारी कर राशि ₹ 1488620.00 का प्रगामी कमीशन प्रदाय किया गया है ।

3.9.5 (प) मुद्रांक विक्रेताओं को प्रदत्त कमीशन का तिमाही पत्रक आयकर आयुक्त को न भेजा जाना

मध्य प्रदेश कोष संहिता भाग एक के सहायक नियम 171(फ) के अनुसार कोषालय अधिकारी संबंधित आयकर आयुक्त को ₹ 250.00 तथा इससे अधिक के वैयक्तिकों को किये गये भुगतानों का एक तिमाही पत्रक भेजेगा । इसमें भुगतान ग्रहिताओं के नाम तथा पते तथा भुगतान की गई राशि बताई जायेगी जो उसके द्वारा शासन की ओर से कमीशन प्रदाय की गई है ।

निरीक्षण के दौरान पाया गया कि परिशिष्ट संख्या-47 में दर्शाये गये 15 कोषालय एवं उनके अधीनस्थ उपकोषालयों द्वारा उक्त नियमानुसार प्रदत्त कमीशन का तिमाही पत्रक संबंधित आयकर आयुक्त को नहीं भेजा गया है ।

(पप) नान ज्यूडिशियल मुद्रांकों के जारी होने की सूचना रजिस्ट्रार को न भेजने बावत्

संचालनालय के पत्र क्रमांक/मुद्रांक/2004/560 दिनांक 15.6.04 में निर्देश है कि कोषालय अधिकारी का यह दायित्व है कि वह अपने कोषालय से जारी किये गये नान

ज्यूडिशियल मुद्रांकों पर डाले गये नंबर एवं दिनांक के विवरण की एडवाइज जारी दिनांक को संबंधित जिला पंजीयक/उपपंजीयक कार्यालय को सीलबंद लिफाफे में भेजेगा ताकि पंजीयन कार्यालय में रजिस्ट्री में उपयोग में आने वाले नान ज्यूडिशियल स्टाम्प का प्रमाणीकरण कोषालय से प्राप्त एडवाइज में अंकित नंबर से मिलान कर हो सके ।

समीक्षा वर्ष 2011-12 में परिशिष्ट संख्या-48 में दर्शाये गये विवरण अनुसार 30 कोषालय एवं उपकोषालयों द्वारा नान ज्यूडिशियल मुद्रांकों के जारी होने की सूचना रजिस्ट्रार को न भेजा जाना पाया गया ।

3.9.6 मुद्रांक पंजी (मैनुअल) एवं मुद्रांक पंजी (कम्प्यूटर) के अंत शेष में अंतर

कोषालयों द्वारा महालेखाकार कार्यालय को कम्प्यूटर से तैयार मासिक लेखा भेजा जाता है जिसके आधार पर महालेखाकार कार्यालय में संकलन किया जाता है । कोषालय में रखे मुद्रांकों का भौतिक सत्यापन कलेक्टर/उच्च अधिकारियों द्वारा करने के उपरांत इस आशय का प्रमाण पत्र मुद्रांक पंजी (मैनुअल) में अंकित किया जाता है । अतः दोनों अभिलेख मुद्रांक पंजी (मैनुअल) तथा कम्प्यूटर पंजी महत्वपूर्ण है जिसमें कोई अंतर प्रकट नहीं होना चाहिए ।

निरीक्षण के दौरान पाया गया कि परिशिष्ट संख्या-49 में दर्शाये गये कोषालयों/अधीनस्थ उपकोषालयों में संधारित मुद्रांक पंजी (मैनुअल) एवं मुद्रांक पंजी (कम्प्यूटर) के अंतशेष में राशि ₹ 59.64 लाख का अंतर पाया गया ।

3.9.7 मुख्य शीर्ष 2030 के अंतर्गत मुद्रांक विक्रेताओं के कमीशन एवं मुद्रांकों का परिवहन व्यय हेतु आवंटित बजट राशि से अधिक व्यय किया जाना

म0प्र0 शासन वित्त विभाग के ज्ञा क्र0 एफ/14/2/82/सी-चार दिनांक 15.7.96 के अनुसार आहरण अधिकारियों एवं नियंत्रण अधिकारियों की यह जिम्मेदारी है कि वे म0प्र0 कोषालय संहिता भाग-1 के सहायक नियम 284,290,292 एवं म0प्र0 वित्त संहिता भाग-1 के नियम 8 को ध्यान में रखते हुए किसी भी मद में आवंटन से अधिक राशि का व्यय न करें ।

व्यय लेखा परीक्षा के दौरान परिशिष्ट संख्या-50 में दर्शाये गये विवरण अनुसार 6 कोषालयों में मुख्य शीर्ष 2030 के अंतर्गत मुद्रांक विक्रेताओं के कमीशन एवं मुद्रांकों के परिवहन हेतु आवंटित बजट आवंटन से राशि ₹ 9246122.00 अधिक व्यय किया जाना पाया गया ।

3.10 सूचना तकनीकी लेखा परीक्षा संबंधी आपत्तियां

3.10.1 कोषालयों एवं उपकोषालयों में एकरूप (न्दपवित्त) पैकेज न होना

कोषालय निरीक्षण के दौरान कोई प्रकरण संज्ञान में नहीं आया है ।

3.10.2 डाटा बेस में समस्त सुधार सुनिश्चित करने हेतु प्रणाली में कोई प्रावधान न होना

कोषालय निरीक्षण के दौरान कोई प्रकरण संज्ञान में नहीं आया है ।

3.10.3 अवैध लेखा शीर्षों के होने से जिला कोषालय एवं उपकोषालय के डाटा बेस में अंतर कोषालय निरीक्षण के दौरान कोई प्रकरण संज्ञान में नहीं आया है ।

3.10.4 बैंकअप की विश्वसनीयता को सुनिश्चित न किया जाना कोषालय निरीक्षण के दौरान कोई प्रकरण संज्ञान में नहीं आया है ।

3.10.5 मानक बैंकअप पद्धति (ठंडा नच चवसपबल) लागू न करना कोषालय निरीक्षण के दौरान कोई प्रकरण संज्ञान में नहीं आया है ।

3.10.6 डाटा/प्रणाली के संरक्षण हेतु तार्किक/भौतिक सुरक्षा का अभाव कोषालय निरीक्षण के दौरान कोई प्रकरण संज्ञान में नहीं आया है ।

3.10.7 कोषालयीन डाटा का मिलान विभागीय डाटा से न किया जाना

निरीक्षण के दौरान पाया गया कि परिशिष्ट संख्या-16 में दर्शाये गये 34 कोषालय एवं उनके अधीनस्थ उपकोषालयों द्वारा राज्य शासन के उक्त निर्देशों पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है ।

मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग क्रमांक 1889/1843/2001/ सी/चार, दि. 5.10.01 में दिये गये निर्देशों के अनुसार कार्यालय प्रमुखों द्वारा कोषालयों/बैंकों में चालान द्वारा समस्त जमा राशि की पुष्टि निर्धारित प्रक्रिया अनुसार प्रतिमाह कराई जाना अनिवार्य होगा ।

3.10.8 कोषालयों की सूचना तकनीकी लेखा परीक्षा में पाई गई अन्य कमियां

मध्य प्रदेश स्थित कोषालयों में कम्प्यूटर प्रणाली का नेटवर्क आयुक्त कोष एवं लेखा, भोपाल के मुख्य सर्वर से जुड़ा हुआ है । अतः साफ्टवेयर में किसी भी प्रकार की कमी को कोषालयों के निरीक्षण के समय पाये जाने पर कोषालय/उपकोषालय अधिकारियों द्वारा उत्तर दिया गया है कि साफ्टवेयर में आवश्यक सुधार आयुक्त कोष एवं लेखा के कार्यालय द्वारा किया जाना है । वर्ष 2011-12 में निरीक्षण के दौरान सभी कोषालयों/उपकोषालयों अर्थात् 55 कोषालय एवं 156 उपकोषालयों (कंडिका क्रमांक 3.1 में दिये गये विवरण अनुसार) के साफ्टवेयर में मुख्य रूप से निम्न कमियां पाई गईं:-

(1) कम्प्यूटर के उपयोग में आने से मुद्रांक विक्रेताओं को कम्प्यूटर के माध्यम से मुद्रांक जारी किये जाते हैं परंतु प्रणाली में मुद्रांकों के जारी किये जाने में कमीशन की राशि को मुख्य शीर्ष 2030 के अंतर्गत आवंटित बजट की राशि से घटाया नहीं जा रहा है, जिससे प्राप्त बजट के विरुद्ध व्यय पर नियंत्रण नहीं हो पा रहा है । अतः प्रणाली में उक्त बजटीय नियंत्रण की व्यवस्था किये जाने की आवश्यकता है ।

- (2) कम्प्यूटर प्रणाली में सिंगल लॉक पंजियां संधारित करने का कोई प्रावधान नहीं पाया गया है, जो कि मध्य प्रदेश कोषालय संहिता भाग एक के सहायक नियम 94 एवं 95 (अ,ब) अनुसार आवश्यक है ।
- (3) कोषालय को महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक म0प्र0 भोपाल द्वारा मु0शी0 2030 के अन्तर्गत न्यायिक,न्यायिकेत्तर मुद्रांको के विक्रय पर देय कमीशन तथा मुद्रांको के परिवहन/प्रिन्टिंग आदि हेतु आवंटित बजट राशि वर्ष के विवरण वित्त वर्ष की समाप्ति पर उपलब्ध नहीं रहते हैं । अतः कम्प्यूटर प्रणाली में उक्त बजटीय आवंटन व्यय की जानकारी वित्त वर्ष की समाप्ति के उपरान्त भी दर्शाये जाने का प्रावधान कराये जाने की आवश्यकता है ।
- (4) कम्प्यूटर से देयक पारित करने पर बिल माडयूल में देयक से संबंधित एक स्वीकृति जनरेट होती है जो देयक का भुगतान होने पर स्वतः समाप्त हो जानी चाहिये परन्तु कम्प्यूटर में स्वीकृति निरस्त नहीं होती है। जिसके विरुद्ध अन्य देयक का भुगतान होने की संभावना बनी रहती है। अतः बिल माडयूल में “अदावाकृत स्वीकृति आदेश” (न्द. बसंपउमक वतकमते) स्वतः समाप्त होने की आवश्यकता है ।
- (5) विभागीय आहरण अधिकारियों द्वारा वित्तीय वर्ष में आवंटित राशि से अधिक व्यय करने पर भी कम्प्यूटर द्वारा अधिक व्यय राशि शून्य दर्शाई जाती है। जो न केवल एक विसंगति है। अपितु बजट के बिना देयक पारित करना भी विसंगति पूर्ण है।

3.11 व्यय लेखा परीक्षा संबंधी तथा अन्य विसंगतियां

3.11.1 पुराने अभिलेखों का विनष्टीकरण न करना

मध्य प्रदेश कोष संहिता भाग एक के सहायक नियम 23-ए के अनुसार भाग दो के परिशिष्ट 4-ए में उल्लेखित कोषालयीन अभिलेखों की सूची में उनके समक्ष दर्शाई अवधि तक सुरक्षित रखा जावेगा । निर्धारित अवधि उपरांत रिकार्ड कीपर विनष्टीकरण योग्य अभिलेखों की सूची तैयार कर अनुमोदन हेतु कलेक्टर को प्रस्तुत करेगा । तथा अनुमोदन पश्चात नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी ।

वर्ष 2011-12 में निरीक्षण के दौरान परिशिष्ट संख्या-51 में दर्शाये गये 38 कोषालय एवं उनके अधीनस्थ उपकोषालयों द्वारा निर्धारित अवधि समाप्ति के पश्चात भी अभिलेखों के विनष्टीकरण की कार्यवाही किया जाना नहीं पाया गया ।

3.11.2 यात्रा अग्रिम की राशि का समायोजन न किया जाना

मध्य प्रदेश कोष संहिता भाग एक के सहायक नियम 271 के अनुसार कर्मचारियों को यात्रा अग्रिम तभी भुगतान किये जावे जब उन्हें वास्तविक रूप से शासकीय यात्रा पर जाना हो तथा यात्रा पूर्ण होने पर यात्रा अग्रिम राशि का व्यय देयक से यथाशीघ्र समायोजन/वसूली की जानी चाहिये ।

परिशिष्ट संख्या-52 में दर्शाये गये 8 कोषालय एवं उनके अधीनस्थ उपकोषालयों में कुल 99 मदों की यात्रा अग्रिम राशि ₹ 129984.00 का समायोजन किया जाना नहीं पाया गया ।

3.11.3 माननीय विधायकों से दूरभाष तथा अन्य वसूली न किया जाना

परिशिष्ट संख्या-53 में दर्शाये गये 02 कोषालय एवं उनके अधीनस्थ उपकोषालयों द्वारा माननीय विधायकों से राशि ₹ 9165.00 दूरभाष एवं अन्य वसूली वेतन देयक से नियमानुसार नहीं किया जाना पाया गया ।

3.11.4 नमूना हस्ताक्षर गार्ड फाइल के संधारण में कमियां

मध्य प्रदेश कोषालय संहिता भाग एक के सहायक नियम 157 अनुसार एवं संचालनालय कोष एवं लेखा मध्य प्रदेश भोपाल के पत्र क्र.डी.टी.ए./जन-20/75-76/505 दि० 7.1.76 के अनुसार नमूना हस्ताक्षरों की गार्ड फाइल के प्रारम्भ में आहरण अधिकारियों को दर्शाने वाली अनुक्रमाणिका का संधारण निर्धारित प्रारूप में किया जाना चाहिये ।

निरीक्षण के दौरान पाया गया कि परिशिष्ट संख्या-54 में दर्शाये गये 16 कोषालयों द्वारा उक्त नियम/आदेश अनुसार नमूना हस्ताक्षर गार्ड फाइल निर्धारित प्रारूप में संधारित नहीं की गई है ।

3.11.5 मृत स्कंध पंजी का सत्यापन न किया जाना

मध्य प्रदेश वित्तीय संहिता भाग एक के नियम 128(4) के अनुसार प्रत्येक वर्ष जनवरी माह में भंडारका भौतिक सत्यापन सक्षम अधिकारी द्वारा कराया जाना चाहिये तथा पंजी का संधारण प्रपत्र एम.पी.टी.सी. 9 में किया जाकर प्रतिवर्ष पंजी का सत्यापन भंडार प्रभारी के अतिरिक्त अन्य अधिकारी से कराया जाना चाहिये ।

परिशिष्ट संख्या-55 में दर्शाये गये 13 कोषालयों एवं उपकोषालयों में संधारित मृत स्कंध पंजी का उपरोक्तानुसार सत्यापन नहीं कराया जाना पाया गया है ।

3.11.6 सेवा पुस्तिकाओं के संधारण में कमियां

मूल नियम 74 के पूरक नियम 29 के अनुसार जैसे ही कोई व्यक्ति शासकीय सेवा में नियुक्त होकर अपने पद पर उपस्थित होता है उसकी एक सेवा पुस्तिका तैयार की जाती है इस पुस्तक में शासकीय सेवक के शासकीय जीवन की प्रत्येक घटना को अभिलिखित किया जाता है तथा उसे कार्यालय प्रमुख द्वारा अभिप्रमाणित किया जाना चाहिये ।

निरीक्षण के दौरान परिशिष्ट संख्या-56 में दर्शाये गये 13 कोषालयों एवं अधीनस्थ उपकोषालयों में सेवा पुस्तिकाओं के संधारण में संबंधित कोषालयों के निरीक्षण प्रतिवेदन/नमूना जांच टीप में प्रतिवेदित विवरणानुसार कमियां पाई गई है।

3.11.7 कोषालयों द्वारा कोषालयीन उपयोग हेतु क्रय की गई सामग्री में पाई गई विसंगतियां

मध्य प्रदेश वित्तीय संहिता भाग एक के नियम 119 के अनुसार क्रय आदेशों को, आदेशों के कुल मूल्य के संदर्भ में उच्च प्राधिकारी की अपेक्षित आवश्यक स्वीकृति प्राप्त करने से बचने हेतु, विभक्त नहीं किया जाना चाहिए।

वर्ष 2011-12 में व्यय लेखा परीक्षा के दौरान परिशिष्ट संख्या-57 में दर्शाये गये 2 कोषालयों द्वारा उच्च प्राधिकारी की अपेक्षित आवश्यक स्वीकृति प्राप्त करने से बचने हेतु क्रय आदेशों का विभक्त कर 14 बिल/कैश में के माध्यम से राशि ₹ 12447.00 का आहरण किया गया है जो अनियमित है।

3.11.8 कम्प्यूटर एवं ए.सी. की मरम्मत पर अनियमित व्यय किया जाना

मध्य प्रदेश वित्तीय अधिकारों की पुस्तिका भाग दो में संचालक कोष एवं लेखा विभाग को प्रत्यायोजित वित्तीय अधिकारों के सरल क्रमांक 10 के अनुसार कम्प्यूटर एवं ए.सी. मरम्मत के अधिकार जिला कलेक्टर को प्रदत्त है।

वर्ष 2011-12 में व्यय लेखा परीक्षा के दौरान परिशिष्ट संख्या-58 में दर्शाये गये विवरण अनुसार कोषालय पन्ना में स्थापित कम्प्यूटर एवं ए.सी. की मरम्मत बिना कलेक्टर की अनुमति के राशि ₹40450.00 का अनियमित भुगतान किया जाना पाया गया।

3.11.9 कार्यालय प्रमुख को प्रत्यायोजित वित्तीय अधिकारों से अधिक का व्यय किया जाना

मध्य प्रदेश वित्तीय अधिकारों की पुस्तिका भाग दो में उल्लेखित संचालक कोष एवं लेखा विभाग हेतु प्रत्यायोजित वित्तीय अधिकारों के सरल क्रमांक 1 के अनुसार कार्यालय प्रमुख को एक बार में ₹1000.00 तक व्यय करने के अधिकार है।

व्यय लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि परिशिष्ट संख्या-59 में दर्शाये गये विवरण अनुसार शिवपुरी, पन्ना एवं रायसेन कोषालय द्वारा लेखन एवं अन्य सामग्री का क्रय करने हेतु 47 बिलों में राशि ₹243262.00 का आहरण किया गया जो कि कार्यालय प्रमुख को प्रत्यायोजित वित्तीय अधिकारों से अधिक का आहरण है।

3.11.10 कोषालय द्वारा लेखन सामग्री का अनियमित रूप से स्थानीय क्रय किया जाना

कोषालय निरीक्षण के दौरान कोई प्रकरण संज्ञान में नहीं आया है।

परिशिष्ट संख्या-1

मध्य प्रदेश स्थित कोषालयों/उपकोषालयों की सूची

सरल क्रमांक	कोषालय का नाम	उपकोषालय का नाम
1	अनूपपुर	1. पुष्परजगढ़
2	अशोकनगर	2. चंदेरी 3. मुंगावली
3	भोपाल	4. वैरसिया
4	बालाघाट	5. बैहर 6. वारासिवनी 7. कटंगी 8. लांजी
5	बड़वानी	9. राजपुर 10. पानसेमल 11. सेंधवा
6	बैतूल	12. मुलताई 13. भैंसदेही 14. शाहपुर
7	भिण्ड	15. गोहद 16. लहार 17. मेहगांव 18. अटेर
8	छतरपुर	19. नौगांव 20. बिजावर 21. बक्सवाहा 22. लौंडी 23. राजनगर
9	छिन्दवाड़ा	24. सौंसर 25. पांडुरना 26. अमरवाड़ा 27. जुन्नारदेव 28. परासिया
10	दतिया	29. भांडेर 30. सेंवड़ा
11	देवास	31. बागली 32. खातेगांव 33. सोनकच्छ 34. कन्नौद
12	धार	35. बदनावर 36. कुक्षी 37. धरमपुरी 38. मनावर 39. सरदारपुर 40. गंधवानी
13	डिण्डोरी	—
14	बुरहानपुर	—
15	दमोह	41. हटा 42. तेंदूखेड़ा

16	गुना	43. आरोन 44. चाचौड़ा 45. राधौगढ़
17	ग्वालियर	46. डबरा
18	होशंगाबाद	47. इटारसी 48. पचमढ़ी 49. सिवनीमालवा 50. सोहागपुर 51. पिपरिया 52. बाबई
19	हरदा	—
20	इंदौर	53. देपालपुर 54. महु 55. सावेर
21	इंदौर सिटी	—
22	जबलपुर	56. सिहोरा 57. पाटन
23	जबलपुर सिटी	—
24	झाबुआ	58. पेटलावद 59. थांदला
25	कटनी	60. विजयराधवगढ़
26	खण्डवा	61. नयाहरसूद 62. नर्मदानगर
27	खरगोन	63. बड़वाह 64. भीकनगांव 65. कसरावद 66. महेश्वर 67. सनावद 68. सेगांव 69. मण्डलेश्वर
28	मण्डला	70. नैनपुर 71. निवास
29	मुरैना	72. सबलगढ़ 73. अम्बाह 74. जौरा
30	मोतीमहल	—
31	मन्दसौर	75. भानपुरा 76. गरोठ 77. मल्हारगढ़ 78. सीतामऊ 79. सुवासरा
32	नरसिंहपुर	80. गाडरवाड़ा 81. करेली 82. गोटेगांव
33	नीमच	83. रामपुरा 84. जावद 85. मनासा 86. सिंगौली
34	पन्ना	87. अजयगढ़

		88. पवई 89. शाहनगर
35	रायसेन	90. बेगमगंज 91. सिलवानी 92. बरेली 93. गौहरगंज 94. गैरतगंज 95. उदयपुरा
36	राजगढ़	96. ब्यावरा 97. नरसिंहगढ़ 98. सारंगपुर 99. खिलचीपुर 100. जीरापुर
37	रतलाम	101. आलोट 102. जावरा 103. सैलाना 104. बाजना
38	रीवा	105. हनुमना 106. मऊगंज 107. सिरमौर 108. त्योंथर
39	शिवपुरी	109. करेरा 110. पिछोर 111. कोलारस 112. पोहरी
40	सागर	113. खुरई 114. बीना 115. रहली 116. देवरी 117. गढ़ाकोटा 118. बण्डा
41	श्योंपुर	119. विजयपुर
42	सतना	120. नागौद 121. मैहर 122. अमरपाटन 123. रामपुर बधेलान
43	सीहोर	124. आष्टा 125. नसरुल्लागंज 126. बुदनी 127. इच्छावर 128. दोराहा
44	सिवनी	129. लखनादौन 130. केवलारी
45	शहडोल	131. ब्यौहार
46	शाजापुर	132. आगर 133. शुजालपुर 134. सुसनेर
47	सीधी	135. चुरहट 136. मझौली

		137. कुसमी 138. सिंहावल
48	उमरिया	—
49	टीकमगढ़	139. जतारा 140. निवाड़ी
50	उज्जैन	141. महिदपुर 142. तराना 143. नागदा 144. बड़नगर 145. खाचरौद 146. घटिया
51	वल्लभ भवन	—
52	विदिशा	147. नटेरन 148. सिरोंज 149. शमशाबाद 150. ग्यारसपुर 151. लटेरी 152. कुरवाई 153. गंजवासौदा
53	विन्ध्याचल	—
54	अलीराजपुर	154. जोबट
55	सिंगरौली	155. देवसर 156. चितरंगी

परिशिष्ट संख्या-2

(पैरा-2.4)

विलम्ब से प्राप्त मासिक लेखे की जानकारी

लेखा माह	कोषालय का नाम	लेखा प्राप्त होने की तिथि	विलम्ब		
			1-5 दिन	6-14 दिन	15-30 दिन
4/11	अनूपपुर, अशोकनगर, भिण्ड, बुरहानपुर, दतिया, ग्वालियर, खण्डवा, मुरैना, राजगढ़, सतना, सिवनी, सीधी, वल्लभ भवन	06.5.11	1	—	—
	अलीराजपुर, बैतूल, देवास, धार, डिण्डोरी, इंदौर जिला, जबलपुर जिला, रीवा, सीहोर, शाजापुर, श्योपुर, सिंगरौली, उज्जैन	09.5.11	4	—	—
	बड़वानी, बालाघाट, छतरपुर, जबलपुर सिटी, झाबुआ, नीमच, टीकमगढ़	10.5.11	5	—	—
	छिन्दवाड़ा, दमोह, होशंगाबाद, खरगोन, शहडोल, शिवपुरी,	11.5.11	—	6	—
	हरदा, नरसिंहपुर	12.5.11	—	7	—
	कटनी	13.5.11	—	8	—
	भोपाल, मण्डला	17.5.11	—	12	—
	सागर	18.5.11	—	13	—
5/11	अनूपपुर, बैतूल, भिण्ड, छतरपुर, दतिया,	06.6.11	1	—	—

	डिण्डोरी, ग्वालियर, इंदौर जिला, जबलपुर सिटी, खण्डवा, मुरैना, मोतीमहल, रायसेन, राजगढ़, रतलाम, रीवा, सतना, शहडोल, श्योपुर, सिंगरौली, विदिशा, वल्लभ भवन, विन्ध्याचल भवन				
	बुरहानपुर, धार, हरदा, सीहोर, सीधी, टीकमगढ़, उज्जैन, उमरिया	07.6.11	2	—	—
	होशंगाबाद, झाबुआ, मण्डला, नरसिंहपुर, शाजापुर, शिवपुरी	08.6.11	3	—	—
	अशोकनगर, बड़वानी, बालाघाट, भोपाल, छिन्दवाड़ा, देवास, जबलपुर जिला, खरगोन,	09.6.11	4	—	—
	कटनी	10.6.11	5	—	—
	सागर	13.6.11	—	8	—
	अलीराजपुर, दमोह	15.6.11	—	10	—
	नीमच	21.6.11	—	—	16
6/11	बुरहानपुर, छतरपुर, जबलपुर सिटी, रीवा, सतना, शहडोल	06.7.11	1	—	—
	छिन्दवाड़ा, डिण्डोरी, हरदा, होशंगाबाद, खण्डवा, रायसेन, राजगढ़, उमरिया	07.7.11	2	—	—
	अनूपपुर, दमोह, देवास, जबलपुर जिला, झाबुआ, कटनी, नीमच, सीहोर, शाजापुर, श्योपुर, सिंगरौली, टीकमगढ़	08.7.11	3	—	—
	धार, खरगोन	09.7.11	4	—	—
	बड़वानी, बैतूल, मण्डला, नरसिंहपुर, सागर, शिवपुरी, उज्जैन	11.7.11	—	6	—
	अलीराजपुर	15.7.11	—	10	—
	अशोकनगर, बालाघाट	18.7.11	—	13	—
7/11	मोतीमहल	06.8.11	1	—	—
	अलीराजापुर, अनूपपुर, छिन्दवाड़ा, देवास, धार, डिण्डोरी, हरदा, होशंगाबाद, इंदौर जिला, जबलपुर जिला, खण्डवा, मण्डला, रायसेन, सीहोर, सीधी, शिवपुरी, टीकमगढ़	08.8.11	3	—	—
	बड़वानी, झाबुआ, शहडोल	09.8.11	4	—	—
	नरसिंहपुर	10.8.11	5	—	—
	बैतूल, खरगोन	11.8.11	—	6	—
	शाजापुर, सिंगरौली	12.8.11	—	7	—
	कटनी, नीमच	16.8.11	—	11	—
	बालाघाट, सागर	18.8.11	—	13	—
8/11	अनूपपुर, अशोकनगर, भिण्ड, बुरहानपुर, छतरपुर, जबलपुर सिटी, कटनी, खण्डवा, मुरैना, नीमच, रीवा, उमरिया, वल्लभ भवन, विन्ध्याचल भवन	06.9.11	1	—	—
	दमोह, डिण्डोरी, हरदा, होशंगाबाद, रायसेन, राजगढ़, रतलाम, सतना, शहडोल, टीकमगढ़	07.9.11	2	—	—

	अलीराजपुर, बैतूल, भोपाल, देवास, धार, जबलपुर जिला, खरगोन, नरसिंहपुर, सीहोर, शाजापुर, सीधी, श्योपुर, शिवपुरी	08.9.11	3	—	—
	छिन्दवाड़ा, इंदौर जिला, झाबुआ, मण्डला, सिंगरौली	09.9.11	4	—	—
	बड़वानी, दतिया	12.9.11	—	7	—
	बालाघाट, सागर	13.9.11	—	8	—
	सिवनी	20.9.11	—	—	15
9/11	अशोकनगर, ग्वालियर, जबलपुर सिटी, कटनी, खरगोन, मुरैना, नीमच, राजगढ़, रतलाम, सतना, उज्जैन	07.10.11	2	—	—
	बालाघाट, भोपाल, छिन्दवाड़ा, दतिया, धार, जबलपुर जिला, झाबुआ, खण्डवा, मण्डला, मोतीमहल, रायसेन, सीधी, श्योपुर, टीकमगढ़, उमरिया	10.10.11	5	—	—
	बैतूल, शिवपुरी	11.10.11	—	6	—
	अनूपपुर, सीहोर, शाजापुर	12.10.10	—	7	—
	बड़वानी, नरसिंहपुर	13.10.10	—	8	—
	देवास, डिण्डोरी, शहडोल, सिंगरौली	14.10.10	—	9	—
	अलीराजपुर, सागर	15.10.10	—	10	—
10/11	अशोकनगर, बालाघाट, बैतूल, भोपाल, धार, होशंगाबाद, इंदौर जिला, जबलपुर जिला, मुरैना, मोतीमहल, नरसिंहपुर, रतलाम, रीवा, सतना, सीहोर, सिवनी, शाजापुर, सीधी, श्योपुर, सिंगरौली, उज्जैन, विदिशा, वल्लभ भवन, विन्ध्याचल भवन	08.11.11	3	—	—
	अनूपपुर, दतिया, डिण्डोरी, खण्डवा, खरगोन, मण्डला, नीमच,	09.11.11	4	—	—
	अलीराजपुर, बड़वानी, झाबुआ, रायसेन, सागर, शहडोल,	11.11.11	—	6	—
	हरदा, टीकमगढ़	12.11.11	—	7	—
	छिन्दवाड़ा	14.11.11	—	9	—
11/11	बैतूल, छतरपुर, दतिया, देवास, धार, डिण्डोरी, ग्वालियर, होशंगाबाद, खण्डवा, मुरैना, मोतीमहल, सतना, सीहोर, सीधी, श्योपुर, शिवपुरी, उमरिया, वल्लभ भवन	07.12.11	2	—	—
	भोपाल, कटनी, खरगोन, रायसेन, टीकमगढ़,	08.12.11	3	—	—
	अलीराजपुर, बुरहानपुर, छिन्दवाड़ा, हरदा, नरसिंहपुर, राजगढ़, सागर, सिंगरौली,	09.12.11	4	—	—
	बड़वानी, मण्डला	12.12.11	—	7	—
	दमोह	13.12.11	—	8	—
12/11	अनूपपुर, बुरहानपुर, छिन्दवाड़ा, दमोह, दतिया, ग्वालियर, होशंगाबाद, खण्डवा, मण्डला, मंदसौर, राजगढ़, सतना, सीहोर, सिवनी, शहडोल, शाजापुर, सीधी, श्योपुर,	06.1.12	1	—	—

	सिंगरौली, उज्जैन, उमरिया, अलीराजपुर, बड़वानी, बैतूल, भोपाल, देवास, धार, डिण्डोरी, हरदा, इंदौर जिला, झाबुआ, मुरैना, शिवपुरी, वल्लभ भवन	09.1.12	4	—	—
	भिण्ड, नरसिंहपुर, रायसेन, सागर, टीकमगढ़	10.1.12	5	—	—
	रतलाम	11.1.12	—	6	—
1/12	अनूपपुर, भोपाल, बुरहानपुर, छिन्दवाड़ा, दतिया, इंदौर जिला, इंदौर सिटी, जबलपुर सिटी, कटनी, खण्डवा, खरगोन, मण्डला, नीमच, राजगढ़, रीवा, सीहोर, सिवनी, शाजापुर, सीधी, श्योपुर, सिंगरौली, उमरिया, वल्लभ भवन	06.2.12	1	—	—
	बड़वानी, बैतूल, मोतीमहल, सतना	07.2.12	2	—	—
	दमोह, देवास, डिण्डोरी, हरदा, नरसिंहपुर, सागर, शहडोल	08.2.12	3	—	—
	अलीराजपुर, रायसेन, टीकमगढ़	09.2.12	4	—	—
	रतलाम	10.2.12	5	—	—
2/12	अनूपपुर, बुरहानपुर, रतलाम, सागर, टीकमगढ़	06.3.12	1	—	—
	बड़वानी, हरदा, खण्डवा	07.3.12	2	—	—
3/12	बड़वानी, छतरपुर, छिन्दवाड़ा, दमोह, डिण्डोरी, ग्वालियर, होशंगाबाद, झाबुआ, कटनी, खरगोन, मण्डला, रायसेन, रतलाम, शहडोल, वल्लभ भवन, विन्ध्याचल भवन	07.4.12	2	—	—
	अलीराजपुर, अनूपपुर, दतिया, देवास, खण्डवा, सीहोर, सीधी, सिंगरौली	09.4.12	4	—	—
	भोपाल, हरदा, सागर	10.4.12	5	—	—
	बैतूल, टीकमगढ़	11.4.12	—	6	—
	नरसिंहपुर	12.4.12	—	7	—

परिशिष्ट संख्या-3

(पैरा-2.6.1)

वर्ष 2011-12 के अन्त तक अप्राप्त व्ही.डी.एम.एस. से संबंधित कोषालयों/उपकोषालयों की सूची

स.क्र.	कोषालय का नाम	उपकोषालय/बैंक शाखा	माह
1	अशोकनगर	चन्देरी	5,12/11
		मुंगावली	5/11
2	बड़वानी	सैंधवा	9/11
3	बालाघाट	बालाघाट	10/11
4	बैतूल	भैंसदेही	5,6,10/11
5	बुरहानपुर	बुरहानपुर	4/11
6	भिण्ड	भिण्ड	4,10,12/11
		गोहद	6,7,8,9,10,11,12/11
		मेहगांव	11/11
		लहार	4,5,6/11

		भिण्ड	4,5,6 / 11
		अटेर	4,5,11 / 11, 1 / 12
7	भोपाल	मेनब्रांच टीटीनगर भोपाल	3 / 12
		टीटीनगर भोपाल	3 / 12
8	छतरपुर	छतरपुर	11,12 / 11, 1,2,3 / 12
9	छिन्दवाड़ा	सौंसर	12 / 11
		अमरवाड़ा	2,3 / 12
10	दमोह	हटा	4 / 11
11	दतिया	दतिया	4,5,7,8,9 / 11
		भाण्डेर	7,8,9,12 / 11
		सेंवढ़ा	9,10 / 11, 2,3 / 12
12	धार	धरमपुरी	9 / 11
		मनावर	2 / 12
		सरदारपुर(राजगढ़)	9 / 11
		प्रीतमपुर	2 / 12
13	गुना	चाचौड़ा	5,9,10 / 11
		राधोगढ़	9 / 11
14	ग्वालियर	डबरा	7 / 11
15	हरदा	हरदा	12 / 11
		हरदा (एस.बी.एन.)	10,12 / 11
16	होशंगाबाद	होशंगाबाद	2 / 12
		इटारसी	2 / 12
		पिपरिया	2 / 12
		सिवनीमालवा	2 / 12
		पचमढ़ी	2 / 12
		सोहागपुर	2 / 12
		इटारसी	2 / 12
		बाबई	2 / 12
		होशंगाबाद (एस.बी.एन.)	7,8,9,10,11,12 / 11, 1,2,3 / 12
17	इंदौर	पल्सीकर कॉलोनी (इंदौर)	8 / 11
		महू	8 / 11, 3 / 12
		देपालपुर	3 / 12
		सावेर	7 / 11
18	इंदौर सिटी	सिटी ब्रांच	3 / 12
		मिल एरिया	12 / 11
		एम.जी.रोड क्लॉथ मार्केट	12 / 11
19	जबलपुर	गोरखपुर	7 / 11
20	अलीराजपुर	अलीराजपुर	11 / 11
		जोबट	4 / 11
21	कटनी	विजयराघवगढ़	4 / 11
22	खरगोन	सनावद	11 / 11
		भीकनगांव	6 / 11
		महेश्वर	6 / 11
23	मंदसौर	मंदसौर	10 / 11
		मल्हारगढ़	7 / 11

		सीतामऊ	1 / 12
24	मोतीमहल ग्वालियर	मोतीमहल ग्वालियर	11,12 / 11, 1,2,3 / 12
		इन्डस्ट्रीयल इस्टेट ग्वालियर	11,12 / 11, 1,2,3 / 12
25	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	11,12 / 11, 1,2,3 / 12
26	नीमच	नयागांव	9 / 11
		मनासा	5 / 11
		डॉ. अम्बेडकर मार्ग नीमच	4 / 11
27	रायसेन	रायसेन	10,12 / 11
		उदयपुरा	3 / 12
		सिलवानी	6 / 11
		गैरतगंज	12 / 11
		एडीबी बरेली	6,11,12 / 11
28	राजगढ़	राजगढ़ (राजमहल)	9 / 11
		खिलचीपुर	9 / 11
		ब्यावरा	12 / 11, 3 / 12
29	रीवा	रीवा	5,11 / 11
		मऊगंज	5,11 / 11
		सिरमौर	5,11 / 11
		त्योथर	5,11 / 11
		हनुमना	5,11 / 11
		रीवा	5,11 / 11
30	सागर	सागर मैन	2 / 12
		खुरई	5,6,7,8 / 11, 2,3 / 12
		बण्डाबेलई	4,11 / 11, 2 / 12
		बीना	7 / 11, 2 / 12
31	सीहोर	सीहोर	3 / 12
		आस्था	3 / 12
		दोराहा	3 / 12
		नसरुल्लागंज	3 / 12
		इच्छावर	3 / 12
		बुदनी	3 / 12
32	शहडोल	ब्यौहारी	7 / 11, 2 / 12
33	शाजापुर	शाजापुर	12 / 11
34	श्योपुर	श्योपुर	6,7,8,11,12 / 11, 1,2,3 / 12
		विजयपुर	9,10,11,12 / 11, 1,2,3 / 12
35	शिवपुरी	कोलारस	3 / 12
36	सीधी	सीधी	2,3 / 12
		एडीबी चुरहट	2,3 / 12
		मझौली	2,3 / 12
		अमीलिया	5,6 / 11, 2,3 / 12
		कुसमी	2,3 / 12
37	टीकमगढ़	टीकमगढ़	6,11,12 / 11, 1,2,3 / 12
		निवाड़ी	11,12 / 11, 1,2,3 / 12
		जतारा	11,12 / 11, 1,2,3 / 12
		टीकमगढ़	11,12 / 11, 1,2,3 / 12

38	उज्जैन	उज्जैन	11 / 11		
		नई सड़क	11 / 11		
		बुद्धावरा	11 / 11		
		नागदा	11 / 11		
		एडीबी खाचरौंद	11 / 11		
		कंथाल रोड	11 / 11		
		बड़नगर	11 / 11		
		महिदपुर	11 / 11		
		तराना	11 / 11		
		घटिया	11 / 11		
		39	उमरिया	उमरिया	2 / 12

परिशिष्ट संख्या – 4

(पैरा-2.9.1)

31 मार्च 2012 की स्थिति में मुख्य शीर्ष 8675-रिजर्व बैंक डिपाजिट (केन्द्रीय) के अंतर्गत विसंगतियों की लंबित मदों की सूची

1. (दिनांक 31.3.1990 के पूर्व की लंबित मदें)

क्र.	कोषालय	बैंक शाखा	माह	क्रेडिट	डेबिट	अभ्युक्तियां
1	सतना	सतना कोषालय	4 / 77	—	1062.48	को. आर.बी.डी. 838603.70 को. नगद लेखा 837541.22 नगद लेखा एवं आर.बी.डी. में अंतर
2	सीहोर	एस.बी.आई. 1264 / नसरुल्लागंज	2 / 83	300	—	नसरुल्लागंज शाखा के बैंक राशि रु. 300 गलती से माह 2/83 में कुरवाई के विरुद्ध दर्ज किया गया था । माह 2/83 में कुरवाई बैंक राशि रु. 300 के आर.बी.आई. द्वारा 2/96 में समायोजन किया गया था अब नसरुल्लागंज के रु. 300 (कोषालय राशि) समायोजन के अभाव में लंबित है ।
3	दमोह	एस.बी.आई. 1332 / हटा	12 / 87	—	1526	संबंधित अभिलेख के अभाव में इस कार्यालय द्वारा समायोजन नहीं किया जा सका
	योग					

2. (दिनांक 01.4.1990 के बाद की लंबित मदें)

क्र.	कोषालय	बैंक शाखा	माह	क्रेडिट	डेबिट	अभ्युक्तियां
1	शहडोल	एस.बी.आई. 0481 / शहडोल	4 / 90	24569	00	बैंक परिशोधन
2	--	एस.बी.आई. 0462 / शहडोल	10 / 90	00	21824	--
3	--	--	7 / 90	00	38068.75	--
4	रतलाम	एस.बी.आई. 6983 (0466 पुराना) / रतलाम	7 / 90	00	64265	--
5	विदिशा	स्टेट बैंक इंदौर 3075 / विदिशा	7 / 90	00	26780	--
6	इंदौरसिटी	एस.बी.आई. 0387 / मुख्य शाखा	7 / 90	33005.30	00	--
7	--	एस.बी.आई. 0387 / मुख्य शाखा	4 / 91	790166	00	--
8	--		5 / 92	00	191105	--
9	--		6 / 92	00	216233	--
10	--		7 / 92	00	63000	--
11	--		2 / 93	00	76524	--
12	सीधी	एस.बी.आई. 1262 / सीधी	8 / 90	00	43771	--
13	--	एस.बी.आई. 1262 / सीधी	5 / 91	28048	00	--
14	रायसेन	एस.बी.आई. 0462 / रायसेन	12 / 90	00	24129	--
15	जिला भोपाल	एस.बी.आई. 0332 / सुल्तानियां रोड	3 / 91	00	931065	--
16	होशंगाबाद	एस.बी.आई. 0383 / होशंगाबाद	3 / 91	00	133893	--
17	सतना	एस.बी.आई. 0474 / सतना	6 / 91	134404	00	--
		योग		1010192.30	1830657.75	820465.45 डेबिट निबल

परिशिष्ट संख्या-5

(पैरा-2.9.2)

कोषालयों द्वारा मासिक लेखे में अंकित आर.बी.डी.राशि तथा आर.बी.डी.पत्रक में दर्शित राशि में अंतर

स.क्र.	कोषालय	माह	नगद लेखा अनुसार कोषालय की राशि	आर.बी.डी. पत्रक अनुसार कोषालय की राशि	अंतर	
					कमइपज	बतमकपज
1 ^प	अलीराजपुर	04 ^ध 11	1876998 क्तण	20840002 क्तण	18963004	..
2 ^प	खरगोन	10 ^ध 09	663501364 क्तण	663346310 क्तण	..	155054
3 ^प	शिवपुरी	06 ^ध 11	505998435 क्तण	508420526 क्तण	2422091	..
4 ^प	टीकमगढ़	01 ^ध 12	302278290 क्त	297118120 क्तण	...	5160170
5 ^प	टीकमगढ़	02 ^ध 12	279292540 क्तण	224764434 क्तण	..	54528106
6 ^प	सीधी	02 ^ध 12	414067108 क्तण	414067146 क्तण	38	..

परिशिष्ट-6

(पैरा-2.11)

व्यक्तिगत निक्षेप खातों के अवशेष का अंकमिलान न किया जाना

क्रमांक	कोषालय का नाम	क्रमांक	कोषालय का नाम
1	अलीराजपुर	22	कटनी
2	अनूपपुर	23	खण्डवा
3	अशोकनगर	24	मण्डला
4	बड़वानी	25	मन्दसौर
5	बैतूल	26	नरसिंहपुर
6	भिण्ड	27	पन्ना
7	बुरहानपुर	28	राजगढ़
8	छतरपुर	29	रतलाम
9	दमोह	30	रीवा
10	दतिया	31	रायसेन
11	देवास	32	सागर
12	डिण्डौरी	33	सीहोर
13	ग्वालियर	34	सिवनी
14	हरदा	35	श्योंपुर
15	होशंगाबाद	36	शिवपुरी
16	इंदौर सिटी	37	सीधी
17	इंदौर	38	सिंगरौली
18	जबलपुर सिटी	39	टीकमगढ़
19	जबलपुर	40	उमरिया
20	झाबुआ	41	वल्लभ भवन
21	खरगौन	42	विदिशा

परिशिष्ट-7

(पैरा-2.12)

व्यक्तिगत जमा खातों में ऋणात्मक शेष पाया जाना

स.क्र.	कोषालय नाम	क्रमांक	प्रशासक का नाम	राशि (-)
1	अलीराजपुर	1	ए.सी.टी.डी.	23053801
		2	कलैक्टर जनगणना	1868710
2	बड़वानी	3	असि.सोइल कन्सरवेशन आफिसर ऐंधवा एस.ई.	8470510
		4	एल ए एण्ड एस डीओ-(आर)	47487788
		5	कलैक्टर जनगणना अधिकारी	21822082
		6	डी डी ऐग्रीकल्चर	8854175
3	बैतूल	7	विभागीय वन अधिकारी (दक्षिण)	2258385
		8	प्रिन्सीपल वोगमैन आई टी आई	64000
		9	कलैक्टर बैतूल	8410166
		10	ए.एस.सी.ओ	2059833
		11	डिप्टी डायरेक्टर फार्मर वेल्फेअर एण्ड ऐग्रीकल्चर डेवलेपमेंट	13992360
		12	ए एस सी ओ भैंसदेही	1410000
4	भिण्ड	13	जिला आदिवासी कल्याण अधिकारी	1111790
		14	संभागीय वन मण्डल अधिकारी	11000
		15	ई ई पी डब्लू डी	500
		16	ई ई पी डब्लू डी लहार	500
		17	एस डी ओ एण्ड एल ए ओ लहार	9760458
		18	डिप्टी डायरेक्टर ऐग्रीकल्चर	1396694
5	बुरहानपुर	19	असि. कलैक्टर आदिवास विकास बुरहानपुर	4119720
		20	डिप्टी डायरेक्टर फार्मर वेल्फेअर एण्ड ऐग्रीकल्चर डेवलेपमेंट	2298323
		21	असि. लैण्ड ऑफिसर	397000
6	छतरपुर	22	संभागीय वन अधिकारी (सामान्य)	5724745
		23	लैण्ड ऐग्रीकल्चर ऑफिसर नौगांव	85401578
		24	एस डी ओ एण्ड एल ए ओ	72444760
		25	जिला फूड ऑफिसर	4822
7	छिन्दवाड़ा	26	लैण्ड एक्यूयेशन ऑफिसर नं.	344801
		27	डी एफ ओ (ईस्ट) फोरेस्ट डिवीजन	8474468
		28	कलेक्टर एण्ड डिस्टिक सेंशस ऑफिसर	2084292
		29	डिप्टी डायरेक्टर फार्मर वेल्फेअर एण्ड ऐग्रीकल्चर डेवलेपमेंट	5350719
8	दमोह	30	डिप्टी डायरेक्टर पंचायत एण्ड सोशल सर्विसिस	4207087
		31	कलेक्टर सेंशस	16949549
9	दतिया	32	कलैक्टर सेंशस	5243555
		33	ए एस सी ओ	1845584
10	देवास	34	डिवीजनल फॉरेस्ट ऑफिसर	9960
		35	कलेक्टर सेंशस	2878109
11	धार	36	कोषालय अधिकारी	281000
		37	कलेक्टर एण्ड चीफ डिस्टिक सेंशस ऑफिसर	5003366
12	डिण्डोरी	38	डी एफ ओ जनरल	70200

13	गुना	39	सेन्शस ऑफिसर	8254608
		40	डिप्टी डायरेक्टर फार्मर वेलफेयर एण्ड एग्रीकल्चर ऑफिसर	5799794
14	हरदा	41	सेन्शस ऑफिसर	2180002
		42	डिप्टी डायरेक्टर फार्मर वेलफेयर एण्ड एग्रीकल्चर ऑफिसर	1500001
15	होशंगाबाद	43	जिला कोषालय अधिकारी	6
		44	असि. डायरेक्टर हॉर्टिक्युचर	22047245
		45	कलैक्टर सेन्शस ऑफिसर	10434193
16	इंदौर सिटी	46	डिवीजनल फॉरेस्ट ऑफिसर	9760230
		47	पब्लिक सर्विस कमीशन	352684
		48	डिप्टी डायरेक्टर फॉर डायरेक्टर एनवीडीए	11226860
17	इंदौर जिला	49	फूड कन्ट्रॉलर ऑफिसर	44112
18	जबलपुर सिटी	50	डीन मेडीकल कॉलेज	8214326
		51	डायरेक्टर ट्रेनिंग एम पी	72704237
19	जबलपुर जिला	52	एस डी ओ	46160793
		53	डिप्टी डायरेक्टर फार्मर वेलफेयर एण्ड एग्रीकल्चर ऑफिसर	5507020
20	झाबुआ	54	कलैक्टर भूअर्जन अधिकारी	2782480
		55	उपसंभागीय तथा भूअर्जन अधिकारी झाबुआ	2581386
		56	ए एस सी ओ	21000
21	खरगौन	57	डिवीजनल फॉरेस्ट ऑफिसर (सामान्य)	85548
		58	डिवीजनल फॉरेस्ट ऑफिसर (सामान्य) बड़वाह	2010390
		59	एल ए ओ अपारबेधा प्रो. भीकनगांव	36099014
		60	कलैक्टर एण्ड चीफ सेन्शस ऑफिसर	12148131
22	कटनी	61	एल ए ओ बार्गी डिवीजन प्रोजेक्ट	21711590
		62	कलेक्टर एण्ड चीफ सेन्शस ऑफिसर	10571821
		63	डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर	10446370
23	खण्डवा	64	कलेक्टर एण्ड एल ए ओ	4527459
24	मण्डला	65	कलैक्टर एण्ड सेन्शस ऑफिसर	5417344
25	मंदसौर	66	डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर	12671387
26	मुरैना	67	संभागीय वन अधिकारी	2467409
		68	जिला वन अधिकारी (एस सी)	878210
		69	कलैक्टर सेन्शस ऑफिसर	6931694
27	नरसिंहपुर	70	डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर	10299200
28	नीमच	71	कोषालय अधिकारी	59145
		72	एडीशनल डिस्टिक सेन्शस ऑफिसर एण्ड डिस्टिक प्लानिंग ऑफिसर	4621743
29	पन्ना	73	कलैक्टर एवं डायमण्ड अधिकारी	1538921
		74	डिप्टी डायरेक्टर फार्मर वेलफेयर एण्ड एग्रीकल्चर डेवलेपमेंट	2610640
30	राजगढ़	75	कलैक्टर	12083120
		76	असि. डायरेक्टर रेशम सारंगपुर	360000
		77	डिप्टी डायरेक्टर फार्मर वेलफेयर एण्ड एग्रीकल्चर डेवलेपमेंट	3815000
31	रतलाम	78	डी एफ ओ जनरल	18407793

32	रीवा	79	डिवीजनल फॉरेस्ट ऑफिसर	15498051
		80	असि. सोइल सेन्सरवेशन अधिकारी	2291461
33	रायसेन	81	कलेक्टर सेंशस	3844443
		82	डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर	661803
34	सागर	83	डी एफ ओ ट्रेनिंग (नवारदेही डिवीजन)	16000
35	शाजापुर	84	डिस्टिक लैण्ड एग्रीकल्चर ऑफिसर	139504160
36	सतना	85	कलेक्टर एण्ड चीफ सेंशस ऑफिसर	17372538
		86	डिप्टी डायरेक्टर किसान कल्याण कृषि विकास	18312704
37	सीहोर	87	डी एफ ओ	565745
		88	कलेक्टर सेंशस	3266709
38	सिवनी	89	डी एफ ओ (टी) नार्थ	6745041
39	शहडौल	90	कलेक्टर	32472268
40	श्यापुर	91	कलेक्टर सेंशस	2762982
41	शिवपुरी	92	कलेक्टर शिवपुरी	17353185
		93	डिप्टी डायरेक्टर फार्मर वेलफेयर एण्ड एग्रीकल्चर डेवलेपमेंट	8965853
42	सीधी	94	संभागीय वन अधिकारी (पूर्व)	47946147
		95	डिप्टी डायरेक्टर पंचायत	6040
		96	कलेक्टर एण्ड सेन्सस ऑफिसर	10778
		97	कलेक्टर फूड ब्रांच	3764593
43	सिंगरौली	98	डी एफ ओ	2946024
44	टीकमगढ़	99	डी ओ टी डब्लू	6924546
		100	डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर	16175556
45	उमरिया	101	डिवीजनल फॉरेस्ट ऑफिसर	222674
		102	कलेक्टर एण्ड सेंशस ऑफिसर	1748307
		103	डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर	5005421
		104	कलेक्टर	644803
46	वल्लभ भवन	105	डिप्टी डायरेक्टर हायर ऐजुकेशन एण्ड योगा प्रचार समिति वल्लभ भवन	9614193
47	विदिशा	106	लैण्ड एक्यूयेशन ऑफिसर लटेरी	7195510
		107	डी एफ ओ (टी)	3308889
		108	कलेक्टर फूड	49960
		109	डी ओ टी	8022228
		110	असि. लैण्ड कन्सर्वेशन ऑफिसर	361000
48	विन्ध्याचल भवन	111	कमिश्नर हैण्डलूम	37865222
		112	कमिश्नर आर्चोलोजी एवं म्यूजियम विन्ध्याचल	4499551
		113	फण्ड मैनेजर इन्फ्रास्ट्रक्चर	285653750
	योग			1476097431

परिशिष्ट-8

(पैरा-2.13)

कोषालयों द्वारा मासिक धन ऋण पत्रक महालेखाकार कार्यालय को न भेजा जाना

क्रमांक	कोषालय का नाम	माह जिनमें धनऋण पत्रक अप्राप्त हैं।
1	अलीराजपुर	4ए5ए6ए11ए2011 - 3ए2012
2	अनूपपुर	4ए5ए7ए9ए11ए2011
3	अशोकनगर	4ए2011
4	बड़वानी	8ए2011
5	बालाघाट	11ए2011ए 2ए3ए2012
6	बैतूल	8ए9ए2011ए1ए2012
7	भिण्ड	5ए9ए2011ए2ए3ए2012
8	भोपाल	7ए2011ए3ए2012
9	बुरहानपुर	7ए9ए11ए2011ए2ए2012
10	छतरपुर	9ए11ए2011ए2ए2012
11	छिन्दवाड़ा	9ए2011
12	दमोह	8ए2011
13	दतिया	7ए2011
14	देवास	..
15	धार	9ए2011
16	डिण्डोरी	7ए9ए10ए11ए2011ए3ए2012
17	गुना	8ए2011
18	ग्वालियर	3ए2012
19	हरदा	3ए2012
20	होशंगाबाद	11ए2011
21	इंदौर सिटी	5ए11ए2011
22	इंदौर	10ए11ए2011
23	जबलपुर सिटी	6ए7ए8ए9ए2011ए1ए2ए2012
24	जबलपुर	8ए9ए2011
25	झाबुआ	11ए2011ए1ए2ए2012
26	खरगोन	3ए2012
27	कटनी	7ए8ए10ए2011ए2ए2012
28	खण्डवा	9ए2011ए3ए2012
29	मण्डला	4ए11ए2011ए1ए2012
30	मोतीमहल	3ए2012
31	मन्दसौर	6ए8ए2011ए1ए3ए2012
32	मुरैना	4ए6ए2011ए3ए2012
33	नरसिंहपुर	8ए2011
34	नीमच	7ए9ए10ए11ए2011ए3ए2012
35	पन्ना	..
36	राजगढ़	..
37	रतलाम	9ए11ए2011ए2ए2012
38	रीवा	9ए10ए2011

39	रायसेन	4ए8ध2011ए3ध2012
40	सागर	11ध2011
41	शाजापुर	1ध2012
42	सतना	8ध2011
43	सीहोर	3ध2012
44	सिवनी	5ध2011ए3ध2012
45	शहडोल	11ध2011
46	श्यापुर	1ए3ध2012
47	शिवपुरी	8ध2011
48	सीधी	12ध2011ए2ध2012
49	सिंगरौली	7ए11ध2011ए1ध2012
50	टीकमगढ़	8ध2011
51	उज्जैन	10ए12ध2011
52	उमरिया	5ए6ए7ए8ध2011ए2ध2012
53	वल्लभ भवन	9ध2011
54	विदिशा	9ए11ध2011
55	विन्ध्याचल	9ए10ध2011ए2ध2012

परिशिष्ट संख्या-9

(पैरा-3.2.1)

निरीक्षण प्रतिवेदन के प्रथम पालन प्रतिवेदन प्राप्त न होना/विलंब से प्राप्त होने का विवरण

स. क.	कोषालय	निरीक्षण अवधि	निरी.प्रति.जारी दिनांक	पालन प्रति. प्राप्ति दिनांक	विलम्ब/रिमार्क
1	शिवपुरी	4/10 से 3/11	28.6.11	15.11.11	3 माह 13 दिन
2	मुरैना	4/10 से 3/11	14.6.11	9.11.11	3 माह 18 दिन
3	अशोकनगर	5/10 से 5/11	26.7.11	अप्राप्त	
4	कटनी	5/10 से 5/11	12.8.11	अप्राप्त	
5	शहडोल	6/10 से 6/11	23.8.11	अप्राप्त	
6	पन्ना	6/10 से 6/11	12.8.11	अप्राप्त	
7	अनूपपुर	6/10 से 6/11	26.8.11	2.1.12	3 माह
8	दतिया	7/10 से 7/11	9.9.11	8.5.12	6 माह 20 दिन
9	छतरपुर	7/10 से 7/11	27.9.11	अप्राप्त	
10	टीकमगढ़	8/10 से 7/11	12.9.11	अप्राप्त	
11	नरसिंहपुर	8/10 से 8/11	5.10.11	अप्राप्त	
12	जबलपुर जिला	9/10 से 8/11	24.10.11	अप्राप्त	
13	जबलपुर सिटी	9/10 से 8/11	10.10.11	अप्राप्त	
14	मोतीमहल	9/10 से 8/11	18.10.11	27.2.12	3 माह 2 दिन
15	सीधी	10/10 से 9/11	15.11.11	अप्राप्त	
16	रीवा	11/10 से 10/11	2.12.11	2.3.12	2 माह
17	ग्वालियर	11/10 से 10/11	8.12.11	20.7.12	6 माह 5 दिन
18	छिन्दवाड़ा	12/10 से 11/11	9.1.12	अप्राप्त	
19	बालाघाट	12/10 से 11/11	5.1.12	अप्राप्त	
20	उमरिया	12/10 से 11/11	28.2.12	अप्राप्त	

21	मण्डला	12/10 से 12/11	14.2.12	अप्राप्त	
22	डिण्डोरी	1/11 से 12/11	1.2.12	अप्राप्त	
23	सिवनी	2/11 से 1/12	9.3.12	अप्राप्त	
24	सिंगरौली	8/10 से 7/11	19.9.11	2.1.12	2 माह 7 दिन
25	सतना	3/11 से 2/12	27.3.12	अप्राप्त	
26	श्योपुर	4/10 से 3/11	10.5.11	2.3.12	8 माह 14 दिन
27	भिण्ड	4/10 से 3/11	31.5.11	9.11.11	4 माह 3 दिन
28	गुना	5/10 से 4/11	6.7.11	5.12.11	3 माह 22 दिन
29	सागर	2/11 से 12/11	21.3.12	अप्राप्त	
30	उज्जैन	3/11 से 2/12	18.5.12	—	
31	झाबुआ	8/10 से 8/11	20.10.11	26.5.12	6 माह
32	बैतूल	8/10 से 8/11	05.12.11	अप्राप्त	
33	बुरहानपुर	8/10 से 6/11	08.8.11	—	
34	देवास	7/10 से 4/11	07.7.11	अप्राप्त	
35	रतलाम	9/10 से 10/11	14.12.11	—	
36	जिला इंदौर	2/11 से 2/12	04.5.12	—	
37	धार	2/11 से 12/11	27.3.12	14.6.12	1 माह 12 दिन
38	खरगौन	11/10 से 11/11	09.1.12	31.1.12	22 दिन
39	बड़वानी	9/10 से 9/11	09.12.11	अप्राप्त	
40	खण्डवा	2/11 से 1/12	20.4.12	—	
41	इंदौर सिटी	2/11 से 1/12	04.5.12	22.5.12	18 दिन
42	भोपाल	2/11 से 1/12	20.4.12	अप्राप्त	
43	सीहोर	6/10 से 3/11	17.6.11	—	
44	रायसेन	9/10 से 8/11	05.12.11	—	
45	राजगढ़	8/10 से 7/11	12.10.11	—	
46	विदिशा	12/10 से 12/11	06.2.12	—	
47	वल्लभ भवन	2/11 से 2/12	04.5.12	—	
48	विन्ध्याचल भवन	11/10 से 10/11	09.1.12	31.1.12	22 दिन
49	होशंगाबाद	1/11 से 11/11	24.1.12	अप्राप्त	
50	दमोह	7/10 से 8/11	19.10.11	06.3.12	3 माह 9 दिन
51	शाजापुर	7/10 से 6/11	29.9.11	अप्राप्त	
52	मंदसौर	7/10 से 5/11	22.7.11	—	
53	नीमच	7/10 से 6/11	23.8.11	—	
54	हरदा	5/10 से 3/11	20.5.11	11.1.12	6 माह 15 दिन
55	अलीराजपुर	8/10 से 8/11	18.11.11	अप्राप्त	

परिशिष्ट संख्या-10

(पैरा- 3.3.2)

तीन वर्ष से अधिक समय तक अनाहरित पेंशन प्रकरण

कोषालय	पेंशनर का नाम	पी.पी.ओ. क्रमांक	जारी दिनांक
नरसिंहपुर	श्री एन.वी.ठाकुर	0526010126	05.5.05
	श्री वेनीसिंह	0535010373	10.9.05
	श्री माधव प्रसाद शुक्ला	09200161	28.10.09
	श्री जालम सिंह	एम.एल.ए. / 902	19.11.09
सतना	श्री केशव मिश्रा	09 / 34 / 01 / 0290	—
	श्री अर्जुन सिंह ठाकुर	10 / 34 / 01 / 0306	—
	श्री किशोर कुमार त्रिपाठी	09 / 7020302	—
ग्वालियर	स्व0 नत्थूलाल पुत्र रघुवर	10 / 14 / 01 / 0225	06.7.10
	स्व0 श्रीमती ऊषा भटनागर	जी.पी.ओ. / 10 / 14 / 01 / 0033	27.1.10
	डॉ उदयनारायण दीक्षित	08 / 14 / 020083	16.4.08
	श्रीमती हेमलता वानीवलकर	08 / 14 / 02 / 0140	13.6.08
	श्री अनिल गोविन्द गिवरईकर	08 / 14 / 02 / 0066	20.3.06
	श्री रूपेश संरक्षक दीनू स्व0श्री कैलाश	10 / 14 / 02 / 02305	30.9.10
	श्री लालाराम शाक्य	10 / 14 / 02 / 0141	07.5.10
	श्रीमती बैजन्ती शाक्य पत्नी स्व0 श्री एस.एल. शाक्य	10 / 42 / 100114	07.8.10
दतिया	श्री देवेन्द्र कुशवाह	10 / 09 / 01 / 0093	21.6.10
	श्री रामेश्वर प्रसाद गुप्ता	09 / 09 / 01 / 0107	16.9.09
	श्री मोतीलाल राजपूत	07 / 09 / 01 / 0142	17.8.07
	स्व0 श्री ओमप्रकाश सेन	09 / 09 / 01 / 0052	19.5.09
	स्व0 श्रीमती मीता पाठक	09 / 09 / 01 / 0023	11.2.09
	स्व0 श्रीमती गायत्री देवी शर्मा	जी.पी.ओ. / 06 / 09 / 01 / 0179	19.10.06
	स्व0 श्रीमती लिली सक्सैना	जी.पी.ओ. / 07 / 09 / 01 / 0168	22.9.07
	स्व0 श्री राजू रजक	जी.पी.ओ. / 09 / 09 / 01 / 0106	08.9.09
छतरपुर	जोगेश्वर प्रसाद तिवारी	086010096	—
	स्व0 देवीदीन रैकवार	0706010160	—
उमरिया	श्री सहदेव प्रसाद यादव	05 / 44 / 01 / 0023	न्यायालयीन प्रकरण
	श्री मोहन लाल सिंह	07 / 44 / 01 / 0024	—
डिण्डोरी	स्व0 श्री हम्मीलाल धुर्वे	0612010575	21.11.06
	स्व0 श्रीमती शकुन्तला ठाकुर	0812010826	22.11.08
	श्री कार्तिक राम यादव	01012011078	09.12.10
	स्व0 श्री भद्देलाल परस्ते	0712010675	—
	स्व0 श्री ओमप्रकाश मरावी	0918020101	—
मण्डला	स्व0 श्री मुन्नूलाल यादव	10 / 23 / 010741	—
	स्व0 श्री कृष्णकुमार झारिया	10 / 23 / 010750	—
	स्व0 श्री राजाराम धूमकेती	10 / 23 / 010766	—
	श्री प्रभुचरन दुबे	10 / 23 / 010773	—
	श्री जम्मूलाल मरावी	10 / 23 / 010832	—

परिशिष्ट संख्या-11

(पैरा-3.3.3-बी)

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा भुगतान किये जाने वाले परिवार पेंशन प्रकरणों की कोषालय द्वारा दो प्रतिशत जांच न किये जाने वाले कोषालयों की सूची

स.क्र.	कोषालय	स.क्र.	कोषालय
1	श्यापुर	14	सागर
2	भिण्ड	15	देवास
3	मुरैना	16	अलीराजपुर
4	शिवपुरी	17	शाजापुर
5	कटनी	18	दमोह
6	गुना	19	होशंगाबाद
7	पन्ना	20	रायसेन
8	अनूपपुर	21	रतलाम
9	सिंगरौली	22	टीकमगढ़
10	जबलपुर जिला	23	छतरपुर
11	सीधी	24	इंदौर
12	रीवा	25	हरदा
13	सतना		

परिशिष्ट संख्या-12

(पैरा-3.3.3-ई)

राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा परिवार पेंशन प्रकरणों में अधिक भुगतान किया जाना

स.क्र.	कोषालय का नाम	राशि ₹ (2011-12)
1	शिवपुरी	3928
2	गुना	77574
3	देवास	35006
4	अनूपपुर	6269
5	जिला जबलपुर	5571
6	नरसिंहपुर	111018
7	कटनी	4731
8	नीमच	76937
9	दमोह	46062
10	सीधी	436229
11	रीवा	334962
12	ग्वालियर	30566
13	रायसेन	123868
14	सतना	208901
15	सागर	75188
16	खण्डवा	111385
17	धार	10032
18	भोपाल	36161
19	अलीराजपुर	25627
20	होशंगाबाद	159375
21	खरगोन	67396
22	उमरिया	22960
23	सिवनी	66798
24	डिण्डोरी	31486
25	छिन्दवाड़ा	209946
26	मण्डला	99484
	योग	2417460

परिशिष्ट संख्या-13

(पैरा-3.3.4)

राज्य शासन के अधीन दिनांक 1.1.05 एवं इसके बाद नियुक्त कर्मचारियों को परिभाषित अंशदान पेंशन योजना के क्रियान्वयन में अनियमिततायें

स.क्र.	कोषालय का नाम	कर्मचारियों के वेतन से कटौती से प्राप्त अंशदान	कोषालय द्वारा जमा शासन का समतुल्य अंशदान	शासन का शेष समतुल्य अंशदान
1	भिण्ड	14689354	14538110	151244
2	मुरैना	13653432	8290678	5362804
3	शिवपुरी	10845298	7450818	3394480
4	पन्ना	10488847	2504099	7984748
5	अनूपपुर	8271071	1913686	6357385
6	सिंगरौली	5205968	5475	5200493
7	जबलपुर सिटी	6488622	692689	5795933
8	जबलपुर	20003128	1870378	18132750
9	देवास	8959579	655770	8303809
10	अशोकनगर	4499648	1520247	2979401
11	टीकमगढ़	6859015	1027087	5831928
12	छतरपुर	3015171	2743482	271689
13	वल्लभ भवन	18383932	4349982	14033950
	योग	131363065	47562501	83800614

परिशिष्ट संख्या-14

(पैरा-3.4.1)

विभागीय भविष्य निधि खातों के संधारण में पाई गई कमियां

स. क्र.	कोषा./ उपकोषा. का नाम	जमा राशि में अंतर	गलत ब्याज गणना किया जाना (अंतर राशि)	अन्य कमियां	प्रकरणों की संख्या
2	अनूपपुर	140	3999-3589=140	-	01
3	मोतीमहल	-	(-) 136	-	01

परिशिष्ट संख्या-15

(पैरा-3.4.7-ब)

सामान्य भविष्य निधि प्राधिकार पत्रों का वैधता अवधि में भुगतान न किया जाना

स.क्र.	कोषालय का नाम	मद संख्या	राशि ₹
1	शिवपुरी	03	120770
2	सीहोर	05	211282
3	देवास	02	1126213
4	शहडोल	19	2549643
5	सिंगरौली	04	309967
6	जिला जबलपुर	05	494742
7	नरसिंहपुर	04	295193
8	मोतीमहल	04	609284
9	दतिया	04	714281
10	पन्ना	08	150988
11	दमोह	16	804381
12	बालाघाट	06	643888
13	ग्वालियर	09	585124
14	विन्ध्याचल भवन	02	886621
15	बैतूल	02	75458
16	रायसेन	03	249090
17	रतलाम	02	2499338
18	श्योपुर	02	340215
19	भिण्ड	02	86092
20	उज्जैन	01	2626
21	विदिशा	03	761748
22	सागर	03	380358
23	खण्डवा	04	67343
24	धार	08	947457
25	भोपाल	03	147455
26	उमरिया	01	629615
27	सिवनी	02	56426
28	डिण्डोरी	10	1618962
29	छिन्दवाड़ा	02	300478
30	मण्डला	10	834660
31	वल्लभ भवन	08	1269193
	योग	157	19768891

परिशिष्ट संख्या-16
(पैरा-3.5.5 एवं 3.10.7)

विभाग द्वारा चालान से जमा राशि तथा कोषालय से आहरित राशि का प्रतिमाह
पुष्टि/प्रमाणीकरण न किया जाना

स. क्र.	कोषा./उपकोषा. का नाम	चालान से जमा राशि का पुष्टि न किया जाना	कोषालय से आहरित राशि का प्रमाणीकरण न किया जाना
1	श्यापुर	नहीं किया जा रहा है	नहीं किया जा रहा है
2	भिण्ड	--"	--"
3	मुरैना	--"	--"
4	शिवपुरी	--"	--"
5	कटनी	--"	--"
6	गुना	--"	--"
7	पन्ना	--"	--"
8	अनूपपुर	--"	--"
9	शहडोल	--"	--"
10	सिंगरौली	--"	--"
11	जबलपुर सिटी	--"	--"
12	जबलपुर	--"	--"
13	नरसिंहपुर	--"	--"
14	सीधी	--"	--"
15	रीवा	--"	--"
16	बालाघाट	--"	--"
17	सतना	--"	--"
18	उज्जैन	--"	--"
19	विदिशा	--"	--"
20	खण्डवा	--"	--"
21	अलीराजपुर	--"	--"
22	बैतूल	--"	--"
23	खरगोन	--"	--"
24	रतलाम	--"	--"
25	अशोकनगर	--"	--"
26	ग्वालियर	--"	--"
27	मोतीमहल	--"	--"
28	दतिया	--"	--"
29	टीकमगढ़	--"	--"
30	छतरपुर	--"	--"
31	उमरिया	--"	--"
32	सिवनी	--"	--"
33	डिण्डोरी	--"	--"
34	छिन्दवाड़ा	--"	--"

परिशिष्ट संख्या-17

(पैरा-3.5.7)

आयकर तथा वन प्रेषण की प्राप्तियों का गलत वर्गीकरण कर लेखा प्रस्तुत किया जाना

स.क्र.	कोषा./उपकोषा. का नाम	गलत शीर्ष जिसमें वर्गीकृत किया गया	सही शीर्ष जिसमें वर्गीकृत किया जाना था	राशि
1	शयोपुर	0406	8782-103	294460
2	मुरैना	0406	8782-103	2464
3	शिवपुरी	0406		226177
4	मोतीमहल	0406	8782-103	4206
5	टीकमगढ़	0406	8782-103	1786
	योग			529093

परिशिष्ट संख्या-18

(पैरा-3.5.9)

कोषालय नियम 27 के अंतर्गत आहरित राशि का असमायोजित पाया जाना

स.क्र.	कोषा./उपकोषा. का नाम	मद संख्या	असमायोजित राशि
1	शयोपुर	—	3098572
2	मुरैना	—	10669894
3	मोतीमहल	—	2156249
4	हरदा	—	1447890
	योग		17372605

परिशिष्ट संख्या-19

(पैरा-3.5.10)

बजट अनुदानों को व्यपगत होने से बचाने हेतु अनियमित अग्रिम आहरण

स.क्र.	कोषालय का नाम	पी.डी.खातों में जमा की गई राशि	बैंक/अन्य खातों में जमा की गई राशि	कुल राशि
1	सीहोर	0	67293324	67293324
2	अनूपपुर	6391596	0	6391596
3	सिंगरौली	3500000	0	3500000
4	अलीराजपुर	156131499	0	156131499
5	बुरहानपुर	0	12200000	12200000
6	झाबुआ	43797191	0	43797191
7	पन्ना	0	37892612	37892612
8	टीकमगढ़	0	4777000	4777000
9	छतरपुर	335121	0	335121
10	होशंगाबाद	0	56470992	56470992
11	विन्ध्याचल भवन	6932148019	0	6932148019
12	रायसेन	0	67733288	67733288
13	बड़वानी	0	29542691	29542691
14	जबलपुर सिटी	0	9892715	9892715
15	सागर	117859000	0	117859000
16	दमोह	0	9585000	9585000
17	मण्डला	0	19318192	19318192
	योग	7260162426	314705814	7574868240

परिशिष्ट –20

(पैरा-3.5.11)

भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार दो पासबुकों का संधारण न किये जाने वाले कोषालयों एवं उपकोषालयों की सूची

स.क्र.	कोषा./उपकोषा. का नाम	स.क्र.	कोषा./उपकोषा. का नाम
1	शयोपुर	18	उज्जैन
2	भिण्ड	19	विदिशा
3	मुरैना	20	खण्डवा
4	शिवपुरी	21	अलीराजपुर
5	कटनी	22	बैतूल
6	गुना	23	खरगोन
7	पन्ना	24	रतलाम
8	अनूपपुर	25	अशोकनगर
9	शहडोल	26	ग्वालियर
10	सिंगरौली	27	मोतीमहल
11	जबलपुर सिटी	28	दतिया
12	जबलपुर	29	टीकमगढ़
13	नरसिंहपुर	30	छतरपुर
14	सीधी	31	उमरिया
15	रीवा	32	सिवनी
16	बालाघाट	33	डिण्डोरी
17	सतना	34	छिन्दवाड़ा

परिशिष्ट संख्या-21

(पैरा-3.5.12)

बैंक खातों में जमा राशि पर 2 प्रतिशत दण्ड राशि की वसूली न किया जाना

स.क्र.	कोषालय/उपकोषालय का नाम	बैंक खातों की संख्या	अवधि	दण्ड राशि
1	देवास	01	3/09 से 4/11	795712
2	दतिया	—	3/09 से 4/09	2661953
	योग			3457665

परिशिष्ट संख्या-22

(पैरा-3.5.13)

निर्माण विभागों/सिविल विभागों द्वारा आवंटन से अधिक व्यय किया जाना

स.क्र.	कोषालय/उपकोषालय का नाम	आहरण अधिकारियों की संख्या	आधिक्य
1	गुना	01	341776
2	जबलपुर सिटी	02	17162031
	योग	03	17503807

परिशिष्ट -23

(पैरा-3.5.14)

बिना बजट प्रावधान के पिछले वर्ष में आहरित तथा अखर्चित/असंवितरित राशि को अगले वर्ष में प्राप्ति शीर्ष में जमा करना

स.क्र.	कोषालय/ उपकोषालय का नाम	आहरण एवं संवितरण अधिकारी का नाम	वित्त वर्ष जिसमें जमा की गई	राशि
1	कटनी	जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण विभाग कटनी	2010-11	4010527
2	रतलाम	सहायक आयुक्त आदिवासी विकास रतलाम	2010-11	3839787
		मुख्य का.अधि. जनपद पंचायत रतलाम	2010-11	1736493
	योग			9586807

परिशिष्ट संख्या-24

(पैरा-3.5.15)

वित्त विभाग की स्वीकृति प्राप्त करने से बचने के लिये राशि को विभक्त कर आहरण किया जाना

कोषालय का नाम	आहरण एवं संवितरण अधिकारी	बिल/व्हा.क्र./दि.	राशि
मुरैना	जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण विभाग, मुरैना	134 / 30.3.11	7000000
		135 / 30.3.11	7000000
		136 / 30.3.11	8000000
		137 / 30.3.11	8000000
शिवपुरी	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत शिवपुरी	05 / 29.3.11	22785000
		06 / 29.3.11	22785000
		07 / 29.3.11	29295000
		08 / 29.3.11	21700000
		14 / 29.3.11	22785000
		15 / 30.3.11	22785000
		17 / 30.3.11	16275000
	योग		188410000

परिशिष्ट संख्या-25

(पैरा-3.6.1 एवं 3.6.2)

अदावाकृत राजस्व/अन्य जमा की राशि नियमानुसार शासन के खाते में व्यपगत न करना

स.क्र.	कोषालय का नाम	राशि
1	भिण्ड	2079692
2	शिवपुरी	64037
3	अशोकनगर	1250
4	अनूपपुर	3021489
5	शहडौल	440007
6	जबलपुर सिटी	7255402
7	जिला जबलपुर	5952029
8	नरसिंहपुर	11310
9	कटनी	307244
10	मोतीमहल	6233540
11	दतिया	312816.95
12	बुरहानपुर	30900
13	शाजापुर	5964027
14	टीकमगढ़	11650
15	दमोह	301250
16	सीधी	274008
17	रीवा	57100
18	ग्वालियर	51877
19	विन्ध्याचल भवन	120751932
20	रायसेन	12880
21	सतना	28650
22	सागर	403754
23	खण्डवा	21760
24	भोपाल	938528
25	खरगोन	1458973
26	सिवनी	55192
27	मण्डला	52187
28	वल्लभ भवन	403260
29	इंदौर सिटी	3947274
30	इंदौर जिला	1590296
	योग	162034314.95

परिशिष्ट संख्या-26

(पैरा-3.6.3-प)

वित्त विभाग की अनुमति/स्वीकृति के बिना एक से अधिक व्यक्तिगत जमा खातों का खोला जाना

स.क्र.	कोषालय का नाम	व्यक्तिगत जमा खाताधारकों का नाम	कुल खातों की संख्या	दिनांक की स्थिति
1	श्योपुर	जिला अल्प बचत अधिकारी श्योपुर	02	31.3.11
		भूअर्जन अधिकारी श्योपुर	02	--
2	भिण्ड	डी.ओ.टी.डब्लू भिण्ड	02	--
		जिला योजना अधिकारी भिण्ड	02	--
		भूअर्जन अधिकारी भिण्ड	02	--
		जिला अल्प बचत अधिकारी भिण्ड	02	--
		अधीक्षक उपजेल भिण्ड	02	--
		अधीक्षक उपजेल लहार	06	--
		उपसंभागीय भूअर्जन अधिकारी लहार	02	--
		प्रा0एम.जे.एस. कॉलेज भिण्ड	02	--
		प्रा0 शा. क. महाविद्यालय भिण्ड	02	--
		प्रा0 शा.उ.मा.वि. भिण्ड	02	--
		प्रा0 शा.उ.मा. महिला कॉलेज भिण्ड	02	--
		प्रा0 शा. महाविद्यालय अटेर	04	--
		प्रा0 शा.उ.मा.वि. अटेर	02	--
		प्रा0 शा.एम.एच. कॉलेज गोहद	02	--
		प्रा0 शा.उ.मा.वि. दबोह	02	--
प्रा0 शा. महाविद्यालय मेहगांव	03	--		
3	मुरैना	भाड़ा नियंत्रक अधिकारी मुरैना	02	--
		अधीक्षक उपजेल जौरा	02	--
4	बैतूल	भूअर्जन अधिकारी बैतूल	06	--
		सहायक आयुक्त आदिवासी विकास बैतूल	03	--
		वन मण्डलाधिकारी (दक्षिण) सामान्य बैतूल	02	--
		वन मण्डलाधिकारी (उत्तर) सामान्य बैतूल	03	--
		प्राचार्य जयवन्ती हकसर कालेज बैतूल	02	--
		प्राचार्य कन्या कालेज बैतूल	03	--
		प्राचार्य डा0 भीमराव अम्बेडकर कालेज आमला	02	--
		प्राचार्य महाविद्यालय भैंसदेही	04	--
		प्राचार्य शासकीय कालेज मुलताई	08	--
		प्राचार्य बालाक उ0मा0वि0 मुलताई	02	--
		प्राचार्य कन्या उ0मा0वि0 मुलताई	03	--
5	विदिशा	अनुविभागीय अधिकारी राजस्व लटेरी	03	--
		कलेक्टर एवं अधीक्षक उपजेल लटेरी	03	--
		अनुविभागीय अधिकारी भू अभिलेख नटेरन	03	--
		अनुविभागीय अधिकारी भू अभिलेख सिरोंज	04	--
		कलेक्टर खाद्य विदिशा	02	--
		सहायक मिट्टी संरक्षण अधिकारी सबडिवीजन विदिशा	02	--
		अधीक्षक उपजेल बासौदा	02	--
		अनुविभागीय अधिकारी भू अभिलेख बासौदा	04	--

		अनुविभागीय अधिकारी भू अभिलेख कुरवाई	02	--
		डी.एफ.ओ. विदिशा	02	--
		अनुविभागीय अधिकारी भू अभिलेख विदिशा	02	--
		अधीक्षक, उपजेल विदिशा	02	--
		जिला कोषालय अधिकारी विदिशा	02	--
		प्राचार्य कन्या कॉलेज विदिशा	03	--
		प्राचार्य शास0 कन्या कॉलेज बासौदा	02	--
		प्राचार्य शास0 डिग्री कॉलेज कुरवाई	03	--
6	विन्ध्याचल भवन	संचालक आर्थिक एवं सांख्यिकी भोपाल	03	--
		आयुक्त हैण्डलूम भोपाल	03	--
		अधीक्षक सेन्ट्रल जेल भोपाल	02	--
		प्राचार्य शासकीय कॉलेज भेल भोपाल	02	--
		प्राचार्य शासकीय एम0वी0एम0 कॉलेज भोपाल	02	--
		प्राचार्य एम0आई0टी0आई0 भोपाल	02	--
		प्राचार्य महिला आई.टी.आई. गोविंदपुरा भोपाल	02	--
		मुख्य कार्यपालन अधिकारी म0प्र0 शील संरक्षण प्राधिकरण भोपाल	02	--
7	खरगोन	सहायक मिट्टी अधिकारी खरगोन	03	--
		भूअर्जन पुर्नवास अधिकारी सरदार सरोवर खरगोन	02	--
		सहायक आयुक्त आदिवास कल्याण खरगोन	04	--
		अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, भूअर्जन अधिकारी खरगोन	04	--
		भूअर्जन एवं पुर्नवास अधिकारी, टपरवेदा परियोजना, भीकनगांव	03	--
		भूअर्जन अधिकारी महेश्वर, जल विद्युत परि. मण्डलेश्वर, खरगोन	03	--
		कलेक्टर एवं प्रमुख जनगणना अधिकारी खरगोन	02	--
		भूअर्जन अधिकारी ओंकारेश्वर परियोजना बड़वाह	03	--
		भूअर्जन अधिकारी एवं राजस्व बड़वाह	03	--
		अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व एवं भूअर्जन अधिकारी भीकनगांव	02	--
		भूअर्जन अधिकारी कसरावद	02	--
		अधीक्षक सब जेल कसरावद	02	--
		अधीक्षक सब जेल मण्डलेश्वर	03	--
		प्राचार्य, बालक भास. कॉलेज खरगोन	02	--
		प्राचार्य, कन्या भा0 कॉलेज खरगोन	04	--
		प्राचार्य, महिला पोलि0 खरगोन	02	--
		प्राचार्य, आई.टी.आई. खरगोन	02	--
		प्राचार्य, बी.टी.आई. खरगोन	02	--
		प्राचार्य, भास. डिग्री कॉलेज बड़वाह	02	--
		प्राचार्य, भा.बा.उ.मा.वि. बड़वाह	02	--
		प्राचार्य, भा. डिग्री कॉलेज मण्डलेश्वर	02	--
		जिला एवं सेशन जज, मण्डलेश्वर	03	--

8	रतलाम	कलेक्टर विकास समिति कोटवार रतलाम	02	--
		कलेक्टर भूअर्जन रतलाम	02	--
		कलेक्टर रेन्टकंट्रोल आफिस रतलाम	02	--
		प्राचार्य आई.टी.आई. रतलाम	03	--
		प्राचार्य महिला आई.टी.आई. रतलाम	02	--
		सचिव बोहरा तैय्यबी मा0वि0 रतलाम	02	--
		माहेश्वरी मा0 शाला रतलाम	02	--
		जैन कन्या मा0वि0 रतलाम	03	--
		एम0जी0एम0 उर्दू मि0 स्कूल रतलाम	02	--
		सचिव बोहरा तैय्यबी प्रा0वि0 रतलाम	02	--
		सचिव माहेश्वरी प्रा0वि0 रतलाम	02	--
		एम0जी0एम0 उर्दू प्राथमिक वि0 रतलाम	02	--
		श्री गुजराती प्राथमिक वि0 रतलाम	02	--
		संचालक शिक्षा संधान रतलाम	02	--
		प्राचार्य गुजराती समाज उ0मा0वि0 रतलाम	02	--
		मसीही विद्या विकास समिति रतलाम	03	--
		सेक्टर वेणू गोपाल कन्या उ0मा0वि0 रतलाम	02	--
		सेक्टर शिक्षा समिति दूधार रतलाम	02	--
		प्राचार्य शासकीय महाविद्यालय रतलाम	02	--
		प्राचार्य उ0मा0वि0 क्रमांक 1 रतलाम	02	--
प्राचार्य विवेकानन्द वाणिज्य महाविद्यालय रतलाम	03	--		
प्राचार्य भगतसिंह कालेज जावरा	04	--		
प्राचार्य पोलिटेक्निक कालेज जावरा	02	--		
प्राचार्य शासकीय कालेज सैलाना	04	--		

परिशिष्ट संख्या-27

(पैरा-3.6.3-पप)

समेकित निधि को विकलन द्वारा निर्मित व्यक्तिगत निक्षेप खातों को वित्त वर्ष की समाप्ति पर बन्द न किया जाना

स.क्र.	कोषालय का नाम	राशि
1	श्योपुर	26885178
2	भिण्ड	41941593
3	मुरैना	43313391
4	शिवपुरी	456294363
5	देवास	165409
6	अलीराजपुर	30135000
7	झाबुआ	2328301
8	नीमच	800000
9	दमोह	162077077
10	बालाघाट	4192000
11	रतलाम	19034715
12	उज्जैन	9000000
13	भोपाल	626628
14	होशंगाबाद	79295678
15	मण्डला	1443733
	योग	877533066

परिशिष्ट संख्या-28

(पैरा-3.6.6)

तीन वर्षों से अधिक अवधि से निष्प्रभावी व्यक्तिगत जमा की राशि नियमानुसार राजस्व जमा में अंतरित न करना

स.क्र.	कोषालय का नाम	मद संख्या	राशि □
1	शयोपुर	08	801101
2	मुरैना	15	24431881
3	शिवपुरी	18	197239961
4	अशोकनगर	17	477436
5	सीहोर	06	4213484
6	देवास	02	354605
7	अनूपपुर	03	24709169
8	शहडौल	02	900984
9	जबलपुर सिटी	07	5647597
10	जिला जबलपुर	03	1545760
11	नरसिंहपुर	27	2345518
12	राजगढ़	01	45065
13	अलीराजपुर	04	6558387
14	बुरहानपुर	04	16586
15	झाबुआ	11	2725392
16	शाजापुर	12	3936005
17	दमोह	02	4781795
18	सीधी	07	1537039
19	रीवा	14	18380184
20	बालाघाट	05	644205
21	होशंगाबाद	15	2236404
22	विन्ध्याचल भवन	15	201773984
23	खरगोन	01	76142
24	बड़वानी	13	32584272
25	रतलाम	01	559067
26	पन्ना	02	35437
27	सतना	04	2028356
28	विदिशा	10	2399465
29	सागर	08	446652
30	खण्डवा	02	385608
31	धार	01	2799777
32	भोपाल	00	5321209
33	ग्वालियर	12	618194
34	उमरिया	03	184689
35	सिवनी	08	509309
36	डिण्डोरी	02	2241081
37	छिन्दवाड़ा	08	5585939
38	मण्डला	08	2892405
39	वल्लभ भवन	06	799463077
40	इंदौर सिटी	03	358787
41	इंदौर जिला	01	94616
	योग	291	1363886624

परिशिष्ट संख्या-29

(पैरा-3.6.7)

व्यक्तिगत निक्षेप के खाताधारकों से अप्राप्त अवशेष प्रमाण पत्रों के विवरण

क्रमांक	कोषालय का नाम	खाता धारकों की संख्या	प्राप्त किये गये प्रमाण पत्रों की संख्या	लम्बित प्रमाण पत्रों की संख्या
1	अलीराजपुर	7	—	7
2	अनूपपुर	7	—	7
3	अशोकनगर	6	—	6
4	बड़वानी	21	—	21
5	बालाघाट	15	8	7
6	बैतूल	21	—	21
7	भिण्ड	20	—	20
8	भोपाल	13	1	12
9	बुरहानपुर	8	—	8
10	छतरपुर	22	—	22
11	छिन्दवाड़ा	28	1	27
12	दमोह	11	—	11
13	दतिया	14	—	14
14	देवास	14	—	14
15	धार	17	5	12
16	डिण्डोरी	10	—	10
17	गुना	9	9	—
18	ग्वालियर	11	—	11
19	हरदा	11	—	11
20	होशंगाबाद	23	—	23
21	इंदौर सिटी	24	—	24
22	इंदौर	14	—	14
23	जबलपुर सिटी	13	—	13
24	जबलपुर	15	—	15
25	झाबुआ	29	—	29
26	खरगोन	26	—	26
27	कटनी	11	—	11
28	खण्डवा	15	—	15
29	मण्डला	15	—	15
30	मोतीमहल	12	5	7
31	मन्दसौर	14	—	14
32	मुरैना	19	4	15
33	नरसिंहपुर	30	—	30
34	नीमच	16	8	8
35	पन्ना	12	—	12
36	राजगढ़	16	—	16
37	रतलाम	20	—	20
38	रीवा	12	—	12
39	रायसेन	26	—	26

40	सागर	22	—	22
41	शाजापुर	19	4	15
42	सतना	14	4	10
43	सीहोर	24	—	24
44	सिवनी	23	—	23
45	शहडोल	15	1	14
46	श्योपुर	13	—	13
47	शिवपुरी	17	—	17
48	सीधी	17	—	17
49	सिंगरौली	5	—	5
50	टीकमगढ़	11	—	11
51	उज्जैन	19	11	8
52	उमरिया	11	—	11
53	वल्लभ भवन	27	—	27
54	विदिशा	23	—	23
55	विन्ध्याचल	29	2	27
	योग	916	63	853

परिशिष्ट –30

(पैरा-3.6.13)

राजस्व जमा पंजी में त्रैमासिक प्रमाण पत्र अंकित न करने वाले कोषालय/उपकोषालयों की सूची

स.क्र.	कोषालय/उपकोषालय
1	भिण्ड
2	मुरैना
3	अनूपपुर
4	नरसिंहपुर
5	हरदा
6	रायसेन

परिशिष्ट संख्या-31

(पैरा-3.6.14)

सिविल न्यायालय जमा खातों के न्यायालयीन अभिलेख एवं कोषालयीन अभिलेख में अंतर

स. क्र.	कोषा./उपकोषा. का नाम	न्यायालयीन अभिलेख के अनुसार शेष	कोषालयीन अभिलेख के अनुसार शेष	अंतर की राशि
1	भिण्ड	00	5046436	5046436
2	मुरैना	00	82885113	82885113
3	नरसिंहपुर	3459864	5636564	2176700
4	बालाघाट	00	759428	759428
5	सतना	00	14867357	14867357
6	विदिशा	7220421	5638252	1572169
7	खण्डवा	118077	55813	62264
8	धार	47387307	12550758	34088694
9	भोपाल	89528384	57547034	31954777
10	ग्वालियर	19936964	26515207	6578243
11	मोतीमहल	667396	966446	299050
12	उमरिया	922655	998171	75516
13	छिन्दवाड़ा	6718556	12350163	2631607
14	मण्डला	175291	15448	159843
	योग	176134915	225832190	183157197

परिशिष्ट संख्या-32

(पैरा-3.6.15)

व्यक्तिगत निक्षेप खातों/धन ऋण पत्रक अनुसार शेष एवं प्रशासक से प्राप्त वार्षिक प्रमाण पत्र अनुसार शेषों में अंतर

स. क.	कोषा./उपकोषा.	कोषालयीन अभिलेख/धन ऋण पत्रक अनुसार शेष	प्रशासक के प्रमाण पत्र अनुसार शेष	अंतर
1	पन्ना	2679712	3338393	658681
2	जबलपुर जिला	16705514	16702214	3300
3	धार	738135105	737647234	489943
4	नीमच	52621898	50108742	2513156
5	रतलाम	4822530	4686097.21	198798.79
6	ग्वालियर	350597894	348227518.33	2370375.67
7	सिवनी	1612682	1442250	170432
8	वल्लभ भवन	954459832	951653717	2806115
	योग	2121635167	2113806165.54	9210801.46

परिशिष्ट संख्या-33

(पैरा-3.6.16)

व्यक्तिगत निक्षेप लेखों में केन्द्रांश एवं राज्यांश तथा शीर्ष के योजनावार स्तर तक वर्गीकरण न किया जाने वाले कोषालयों की सूची

स.क्र.	कोषालय	स.क्र.	कोषालय
1	भिण्ड	20	टीकमगढ़
2	मुरैना	21	होशंगाबाद
3	शिवपुरी	22	छतरपुर
4	अशोकनगर	23	खरगोन
5	सीहोर	24	सिवनी
6	देवास	25	रतलाम
7	अनूपपुर	26	पन्ना
8	मोतीमहल	27	सतना
9	दतिया	28	छिन्दवाड़ा
10	जिला जबलपुर	29	उज्जैन
11	नरसिंहपुर	30	सागर
12	राजगढ़	31	खण्डवा
13	अलीराजपुर	32	गुना
14	बुरहानपुर	33	भोपाल
15	झाबुआ	34	रायसेन
16	शाजापुर	35	सिंगरौली
17	दमोह	36	इंदौर सिटी
18	सीधी	37	इंदौर जिला
19	रीवा		

परिशिष्ट संख्या-34

(पैरा-3.6.17)

वित्त विभाग की पूर्व स्वीकृति के बिना शीर्ष 8443-00-800 के अंतर्गत किये गये अनाधिकृत लेन देन

स.क्र.	कोषालय/उपकोषालय का नाम	राशि जमा किया जाना	राशि आहरित किया जाना
1	सीधी	119200	—
2	नीमच	9725	—
3	टीकमगढ़	260694	—
	योग	389619	

परिशिष्ट संख्या-35

(पैरा-3.6.18)

महालेखाकार कार्यालय तथा कोषालय में संधारित पी.डी. खातों के शेषों में अंतर पाया जाना

कोषालय का नाम	म.ले.कार्यालय अनुसार शेष	कोषालय अनुसार शेष	अंतर
मंदसौर	176109439	76370175	163365506
झाबुआ	147332133	109788044	37544089
छतरपुर	1245933817	763695245	482238572
छिन्दवाड़ा	234540199	205979892	28560307
इंदौर	122930156	105302742	17627414
योग	1926845744	1261136098	729335888

परिशिष्ट संख्या-36

(पैरा-3.7.1 एवं 3.77)

अनगदीकृत चैकों/धनादेशों को व्यपगत न किया जाना

स.क.	कोषालय का नाम	चैकों की संख्या	राशि
1	भिण्ड	57	8171829
2	पन्ना	54	1652134
3	ग्वालियर	102	5259243
	योग	213	15083206

परिशिष्ट संख्या-37

(पैरा-3.7.2)

चैकों के धन ऋण पत्रकों का त्रुटिपूर्ण संधारण

कोषालय	प्रारंभिक शेष / राशि	जारी चैक / राशि	नष्ट चैक / राशि T	व्यपगत चैक / राशि	कुल चैक / राशि	निकास चैक / राशि	अंतशेष / राशि
भिण्ड	00	778 / 60332661	00	39 / 126680	739 / 60205981	1021 / 89319733	(-)282 / (-)2911375 2
मुरैना	00	1204 / 89104879	00	16 / 558058	1188 / 88546823	1757 / 106504111	(-)5691 / (-)1795728 8
गुना	00	681 / 36104422	00	02 / 32000	679 / 36072422	2778 / 56767963	2099 / 20696241
पन्ना	00	88 / 23620	00	05 / 2829	1068 / 88120791	1247 / 93600872	(-)179 / (-)5480069
अनूपपुर	00	704 / 31838965	00	00	704 / 31838965	783 / 40082778	(-)79 / (-)8243813
सिंगौली	00	2562 / 374803881	00	15 / 918463	2547 / 37388418	2911 / 398838081	(-)364 / (-)2494766 3
जबलपुर जिला	1261 / 56092216	8022 / 907990729	40 / 248035	74 / 711324	9160 / 963123586	9425 / 997042973	(-)256 / (-)3391938 7
अशोकन गर	179 / 25750641	3108 / 362355462	00	02 / 122695	2741 / 355258291	3302 / 390247030	(-)18 / 2261622

परिशिष्ट संख्या-38

(पैरा-3.8.1-प)

दूढ़ कक्ष से संबंधित उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त न किया जाना

स.क्र.	कोषा./उपकोषा. का नाम	वर्ष जिसमें प्रमाण पत्र अपेक्षित रहे
1	भिण्ड	2011-12
2	मुरैना	—”—
3	शिवपुरी	—”—
4	गुना	—”—
5	पन्ना	—”—
6	सिंगरौली	—”—
7	जबलपुर जिला	—”—
8	नरसिंहपुर	—”—
9	सीधी	—”—
10	रीवा	—”—
11	बालाघाट	—”—
12	सतना	—”—
13	उज्जैन	—”—
14	विदिशा	—”—
15	सागर	—”—
16	धार	—”—
17	भोपाल	—”—
18	बैतूल	—”—
19	रायसेन	—”—
20	खरगोन	—”—
21	रतलाम	—”—
22	बड़वानी	—”—
23	ग्वालियर	—”—
24	दतिया	—”—
25	टीकमगढ़	—”—
26	छतरपुर	—”—

परिशिष्ट संख्या-39

(पैरा-3.8.1-पप)

कोषालय/उपकोषालय के सुदूढ़ कक्ष में बीट चार्ट न लगाया जाना

स.क्र.	कोषा./उपकोषा. का नाम	स.क्र.	कोषा./उपकोषा. का नाम
1	शिवपुरी	10	रायसेन
2	कटनी	11	खरगोन
3	नरसिंहपुर	12	रतलाम
4	सीधी	13	बड़वानी
5	रीवा	14	ग्वालियर
6	विदिशा	15	टीकमगढ़
7	धार	16	छिन्दवाड़ा
8	भोपाल	17	इंदौर जिला
9	बैतूल		

परिशिष्ट संख्या-40

(पैरा-3.8.1-पपप)

कोषालय/उपकोषालय के सुदृढ़ कक्ष हेतु उपयोग में लाये गये अग्निशमन यंत्र में द्रव न भरा होना

स.क्र.	कोषा./उपकोषा. का नाम	अवधि जिसमें द्रव रसायन भरा हुआ न पाया जाना
1	शयोपुर	
2	भिण्ड	2011-12
3	मुरैना	--"
4	शिवपुरी	--"
5	कटनी	
6	गुना	--"
7	पन्ना	--"
8	सिंगरौली	--"
9	नरसिंहपुर	--"
10	सीधी	--"
11	रीवा	--"
12	सतना	--"
13	विदिशा	--"
14	सागर	--"
15	धार	--"
16	भोपाल	--"
17	रायसेन	--"
18	खरगोन	--"
19	रतलाम	--"
20	बड़वानी	--"
21	अशोकनगर	
22	ग्वालियर	--"
23	उमरिया	--"
24	डिण्डोरी	--"
25	छिन्दवाड़ा	--"
26	इंदौर जिला	--"
30	हरदा	--"

परिशिष्ट संख्या-41

(पैरा-3.8.1-पअ)

खजांची/भण्डार लिपिक से प्रतिभूति राशि जमा न कराई जाने वाले कोषालय/उपकोषालयों की सूची

स.क्र.	कोषा./उपकोषा. का नाम	स.क्र.	कोषा./उपकोषा. का नाम
1	शयोपुर	15	झाबुआ
2	भिण्ड	16	बैतूल
3	मुरैना	17	होशंगाबाद
4	शिवपुरी	18	रायसेन
5	कटनी	19	खरगोन
6	गुना	20	रतलाम
7	सिंगरौली	21	अशोकनगर
8	जबलपुर जिला	22	ग्वालियर
9	नरसिंहपुर	23	ग्वालियर
10	रीवा	24	मोतीमहल
11	विदिशा	25	टीकमगढ़
12	सागर	26	छतरपुर
13	खण्डवा	27	छिन्दवाड़ा
14	धार	28	इंदौर जिला

परिशिष्ट संख्या-42

(पैरा-3.8.2)

बहुमूल्य वस्तुओं के पैकेटों की निर्धारित समयावधि के पश्चात वापस न किया जाना

स.क्र.	कोषा./उपकोषा. का नाम	लंबित पैकेटों की संख्या
1	शयोपुर	186
2	भिण्ड	181
3	मुरैना	440
4	शिवपुरी	322
5	कटनी	214
6	गुना	175
7	पन्ना	199
8	अनूपपुर	82
9	शहडोल	260
10	सिंगरौली	123
11	जबलपुर जिला	2364
12	नरसिंहपुर	193
13	सीधी	204
14	रीवा	919
15	बालाघाट	47
16	सतना	678
17	उज्जैन	527
18	विदिशा	35
19	सागर	765
20	खण्डवा	301
21	धार	31

22	भोपाल	900
23	राजगढ़	495
24	अलीराजपुर	129
25	झाबुआ	169
26	शाजापुर	136
27	बैतूल	155
28	होशंगाबाद	344
29	रायसेन	322
30	खरगोन	163
31	रतलाम	737
32	अशोकनगर	141
33	ग्वालियर	12
34	मोतीमहल	131
35	दतिया	459
36	टीकमगढ़	406
37	छतरपुर	742
38	उमरिया	166
39	सिवनी	57
40	डिण्डोरी	123
41	छिन्दवाड़ा	65
42	मण्डला	384
43	इंदौर जिला	238
	योग	14720

परिशिष्ट संख्या-43

(पैरा-3.8.3)

कोषालय के दृढ़कक्ष में विभाग द्वारा रखे गये दोहरी चाबियों के पैकेट्स नियमानुसार वापस न होना

स.क्र.	कोषा./उपकोषा. का नाम	लंबित पैकेटों की संख्या
1	श्यापुर	17
2	भिण्ड	21
3	मुरैना	28
4	शिवपुरी	45
5	कटनी	21
6	गुना	07
7	पन्ना	34
8	अनूपपुर	13
9	शहडोल	38
10	सिंगरौली	07
11	जबलपुर जिला	176
12	नरसिंहपुर	25
13	सीधी	43
14	रीवा	54
15	बालाघाट	17
16	सतना	34
17	उज्जैन	57
18	विदिशा	12
19	सागर	28
20	खण्डवा	22
21	धार	25
22	भोपाल	149
23	बैतूल	27
24	रायसेन	13
25	खरगोन	81
26	रतलाम	01
27	अशोकनगर	18
28	ग्वालियर	08
29	मोतीमहल	43
30	दतिया	22
31	टीकमगढ़	42
32	छतरपुर	09
33	उमरिया	40
34	डिण्डोरी	07
35	छिन्दवाड़ा	15
36	मण्डला	17
37	इंदौर जिला	60
	योग	1276

परिशिष्ट संख्या-44
(पैरा-3.9.2)
मुद्रांकों का निर्धारित सीमा से अधिक भण्डारण

स.क्र.	कोषालय का नाम	मुद्रांकों के अधिक भण्डारण की राशि			
		अदालती	गैरअदालती	अन्य	योग
1	श्यापुर	43796	2933500	2008170	4985466
2	भिण्ड	8395870	14472200	33632460	56500530
3	मुरैना	393278	15862714	11819073	28075065
4	कटनी	25642859	5634310	27898289	59175458
5	पन्ना	154845	4191825	12222087.50	16568757.50
6	अनूपपुर	00	842991	4336267	5179258
7	शहडोल	140640	31670540	46788857	78600037
8	सिंगरौली	00	367500	4215120	4582620
9	जबलपुर जिला	2239575	52110557	228081934	282432066
10	नरसिंहपुर	846291	00	9722429	10568720
11	सीधी	64850	1103350	21320	1189520
12	रीवा	1782260.70	23449260	75777436	101008956.70
13	बालाघाट	1103479	6238720	1762708	9104907
14	सतना	27662642	15563193	43417419	86643254
15	उज्जैन	10859013	119389211	7743890	137992114
16	विदिशा	512076	24507160	7426455	32445691
17	सागर	1073615	21449430	814630	23337675
18	खण्डवा	99730	3245160	54599276	57944166
19	धार	1805360	22058915	6136030	30000305
20	भोपाल	67999870	14070000	664090877	746160747
21	मंदसौर	6509707	12625200	34675947	53810854
22	राजगढ़	555780	3439000	10101080	14095860
23	बुरहानपुर	14398700	237590100	00	251988800
24	नीमच	437370	10410250	264880	11112500
25	शाजापुर	11184610	149479075	8140570	168804255
26	दमोह	6351851	5482600	21908030	33742481
27	बैतूल	1787205	148843333	9562738	160193276
28	सीहोर	356865	283200	43160794	43800859
29	होशंगाबाद	1468313	31242720	1820250	34531283
30	रायसेन	13213790	4646291	1655664	19515745
31	खरगोन	8945938	20017763	69371846	98335547
32	रतलाम	1755034	20058940	110893661	132707635
33	बड़वानी	12744214	45709130	6471430	64924774
34	ग्वालियर	00	52871855	1099191	53971046
35	दतिया	45780	00	26440226	26486006
36	टीकमगढ़	00	3050000	7345282	10395282
37	छतरपुर	404317	00	1159200	1563517
38	सिवनी	80419	1405273	103031	1588723
39	छिन्दवाड़ा	198270	1125050	2186465	3509785
40	मण्डला	369725	9935240	490478	10795443
41	इंदौर	247840	8187285	170500	8605625
	योग	231875777.70	1145562841	1599535990.50	2976974609.20

परिशिष्ट संख्या-45

(पैरा-3.9.3)

अप्रचलित मद्रांकों का सुदृढ़ कक्ष में अनावश्यक रखा जाना

स.क्र.	कोषालय का नाम	मुद्रांकों का प्रकार	अंतिम लेन देन की तिथि	राशि
1	शयोपुर	मनोरंजन कर	16.5.02	359200
2	भिण्ड	मनोरंजन कर	06.8.96	127856
3	पन्ना	इन्श्योरेंस स्टाम्प	—	184450
		मनोरंजन कर	—	428906
4	सीधी	मनोरंजन कर	01.9.92	117284
		कॉपिंग	03.3.89	5250
		सर्विस बुक ओरिजनल	08.8.97	7771.50
		सर्विस बुक डुप्लीकेट	20.1.94	1490.50
5	विदिशा	मनोरंजन कर	—	643695
		वाटर मार्क	—	229500
		शेयर ट्रांसफर	—	1598000
		वाटर मार्क	29.8.11	9000
		रेवेन्यू	25.3.11	13440
		वाटर मार्क	08.9.10	8500
		वाटर मार्क	26.4.05	500
		रेवेन्यू स्टाम्प	16.5.06	2380
		रेवेन्यू	25.9.09	2730
		वाटर मार्क	17.7.08	2000
		वाटर मार्क	10.3.11	500
6	खण्डवा	रसीदी टिकिट	13.12.07	5760
		वाटर मार्क पेपर	27.3.07	1500
		वाटर मार्क पेपर	11.5.05	106500
7	धार	वाटर मार्क	04.4.09	1500
		स्पेशल एडेसिव	11.12.09	15600
		रेवेन्यू	24.3.09	12480
		वाटर मार्क	22.3.2000	2500
		रेवेन्यू स्टाम्प	24.4.06	35200
8	भोपाल	फोरेन बिल	01.12.08	37157027
		लाइसेंस फीस	17.1.02	411175
		हुण्डी	03.11.11	151185
		वाटर मार्क व्हाइट	17.6.11	1000
		रेवेन्यू स्टाम्प	07.11.06	51520
		वाटर मार्क व्हाइट	29.11.08	1000

9	राजगढ़	नरसिंहगढ़	16.6.06	8000
		ब्यावरा	10.6.06	18240
		जीरापुर	13.6.06	16400
		खिलचीपुर	21.8.06	17920
10	शाजापुर	इंश्योरेंस पॉलिसी स्टाम्प	12.2.02	1770000
		रेवेन्यू	14.6.11	380480
		वाटरमार्क	15.12.06	10500
		रेवेन्यू	29.6.06	32120
		वाटरमार्क पेपर	06 / 11	1000
		रेवेन्यू	30.6.06	6080
		वाटरमार्क पेपर	22.2.08	2500
		रेवेन्यू	24.5.06	15680
		वाटरमार्क पेपर	12.1.01	2000
		11	रतलाम	एग्रीमेंट
बीमा पॉलिसी	31.10.11			55543438
स्पेशल एडेसिव	24.10.11			56290720
शेयर ट्रांसफर	28.10.11			344077
12	ग्वालियर	मनोरंजन कर	30.4.03	643100
		हुण्डी	03.2.10	507975
13	मोतीमहल	हुण्डी	02.9.09	44020
14	दतिया	मनोरंजन कर	12 / 99	69825
		बीमा पॉलिसी	2 / 90	1733644
		फिस्कल	4 / 01	3100
		सा.भ.नि.पासबुक	28.12.95	584.80
		सर्विस बुक	1999	137.95
15	इंदौर	हुण्डी	—	12000
	योग			159186991.75

परिशिष्ट संख्या-46

(पैरा-3.9.4)

मुद्रांक विक्रेताओं को न्यायिक मुद्रांक जारी कर अनाधिकृत कमीशन प्रदाय करना

स.क.	कोषा./उपकोषा. का नाम	राशि (2009-10)
1	भिण्ड	20250
2	कटनी	80388
3	अनूपपुर	2399
4	सिंगरौली	3336
5	जबलपुर जिला	995123
6	नरसिंहपुर	25370
7	सीधी	4095
8	रीवा	354659
9	टीकमगढ़	3000
	योग	1488620

परिशिष्ट संख्या-47

(पैरा-3.9.5-प)

मुद्रांक विक्रेताओं को प्रदत्त कमीशन का तिमाही पत्रक कार्यालय आयकर आयुक्त को न भेजा जाना

स.क.	कोषा./उपकोषा. का नाम	स.क.	कोषा./उपकोषा. का नाम
1	शयोपुर	9	उज्जैन
2	भिण्ड	10	अलीराजपुर
3	मुरैना	11	सीहोर
4	अनूपपुर	12	रतलाम
5	सिंगरौली	13	बड़वानी
6	जबलपुर जिला	14	टीकमगढ़
7	नरसिंहपुर	15	हरदा
8	सीधी		

परिशिष्ट संख्या-48

(पैरा-3.9.5-पप)

नान ज्यूडिशियल मुद्रांकों के जारी होने की सूचना रजिस्ट्रार को न भेजने बावत्

स.क.	कोषालय/उपकोषालय का नाम	निरीक्षण अवधि
1	शयोपुर	4/10 से 3/11
2	भिण्ड	4/10 से 3/11
3	मुरैना	4/10 से 3/11
4	शिवपुरी	4/10 से 3/11
5	कटनी	5/10 से 5/11
6	पन्ना	6/10 से 6/11

7	अनूपपुर	6/10 से 6/11
8	सिंगरौली	8/10 से 7/11
9	मंदसौर	7/10 से 5/11
10	अलीराजपुर	8/10 से 8/11
11	बुरहानपुर	8/10 से 6/11
12	नीमच	7/10 से 6/11
13	जबलपुर जिला	9/10 से 8/11
14	नरसिंहपुर	8/10 से 8/11
15	सीधी	10/10 से 9/11
16	रीवा	11/10 से 10/11
17	बालाघाट	12/10 से 11/11
18	उज्जैन	3/11 से 2/12
19	विदिशा	12/10 से 12/11
20	खण्डवा	2/11 से 1/12
21	बैतूल	8/10 से 8/11
22	सीहोर	6/10 से 3/11
23	रायसेन	9/10 से 8/11
24	खरगोन	11/10 से 11/11
25	रतलाम	9/10 से 10/11
26	बड़वानी	9/10 से 9/11
27	ग्वालियर	11/10 से 10/11
28	मोतीमहल	9/10 से 8/11
29	टीकमगढ़	8/10 से 7/11
30	हरदा	5/10 से 3/11

परिशिष्ट संख्या-49

(पैरा-3.9.6)

मुद्रांक पंजी (मैनुअल) एवं मुद्रांक पंजी (कम्प्यूटर) के अंत शेष में में अंतर

कोषालय का नाम	मुद्रांक पंजी (मैनुअल) अनुसार शेष	मुद्रांक पंजी (कम्प्यूटर) अनुसार शेष	अंतर	अन्तर का कारण
श्यापुर	37303391	42547436	5244045	—
छिन्दवाड़ा	4437983	5157553	719570	—
योग	41741374	47704989	5963615	

परिशिष्ट संख्या-50

(पैरा-3.9.7)

मु0शी0 2030 के अंतर्गत बजट आवंटन से अधिक व्यय किया जाना

स.क्र.	कोषालय/उपकोषालय का नाम	वित्त वर्ष	अधिक व्यय
1	भिण्ड	2010-11	1597185
2	मुरैना	2010-11	2879835
3	शहडोल	2010-11	643955
4	मोतीमहल	2010-11	492768
5	छतरपुर	2010-11	2731791
6	सिवनी	2010-11	900588
	योग		9246122

परिशिष्ट संख्या-51

(पैरा-3.11.1)

पुराने अभिलेखों का विनष्टीकरण न करना

स.क्र.	कोषालय/उपकोषालय	स.क्र.	कोषालय/उपकोषालय
1	श्योपुर	20	भोपाल
2	भिण्ड	21	अलीराजपुर
3	मुरैना	22	बैतूल
4	शिवपुरी	23	होशंगाबाद
5	कटनी	24	रायसेन
6	गुना	25	खरगोन
7	पन्ना	26	रतलाम
8	अनूपपुर	27	बड़वानी
9	शहडोल	28	अशोकनगर
10	सिंगरौली	29	ग्वालियर
11	जबलपुर सिटी	30	मोतीमहल
12	जबलपुर जिला	31	दतिया
13	नरसिंहपुर	32	टीकमगढ़
14	सीधी	33	छतरपुर
15	रीवा	34	उमरिया
16	बालाघाट	35	डिण्डोरी
17	सतना	36	छिन्दवाड़ा
18	विदिशा	37	मण्डला
19	धार	38	वल्लभ भवन

परिशिष्ट संख्या-52

(पैरा-3.11.2)

यात्रा अग्रिम की राशि का समायोजन न किया जाना

स.क्र.	कोषालय का नाम	मद संख्या	असमायोजित राशि ₹
1	अनूपपुर	12	24784
2	नरसिंहपुर	17	10000
3	खण्डवा	04	4200
4	सीधी	04	9400
5	बालाघाट	13	10600
6	भोपाल	05	35000
7	सिवनी	09	8500
8	छिन्दवाड़ा	35	27500
	योग	99	129984

परिशिष्ट संख्या-53

(पैरा-3.11.3)

माननीय विधायकों से दूरभाष तथा अन्य वसूली न किया जाना

स.क्र.	कोषालय का नाम	दूरभाष	आवास	अन्य	कुल
1	भिण्ड	403	—	—	403
2	वल्लभ भवन	8762	—	—	8762
	योग	9165			9165

परिशिष्ट संख्या-54

(पैरा-3.11.4)

नमूना हस्ताक्षर गार्ड फाईल के संधारण में कमियां

स.क्र.	कोषालय / उपकोषालय	स.क्र.	कोषालय / उपकोषालय
1	भिण्ड	9	बालाघाट
2	मुरैना	10	उज्जैन
3	शिवपुरी	11	भोपाल
4	अनूपपुर	12	ग्वालियर
5	सिंगरौली	13	मोतीमहल
6	नरसिंहपुर	14	टीकमगढ़
7	सीधी	15	छिन्दवाड़ा
8	रीवा	16	मण्डला

परिशिष्ट संख्या-55

(पैरा-3.11.5)

मृत स्कंध पंजी का सत्यापन न किया जाना

स.क्र.	कोषालय / उपकोषालय	स.क्र.	कोषालय / उपकोषालय
1	श्यापुर	8	सीधी
2	भिण्ड	9	सतना
3	मुरैना	10	भोपाल
4	शिवपुरी	11	अशोकनगर
5	गुना	12	टीकमगढ़
6	पन्ना	13	छतरपुर
7	नरसिंहपुर	14	

परिशिष्ट संख्या-56
(पैरा-3.11.6)
सेवा पुस्तिकाओं के संधारण में कमिया

स.क.	कोषालय	प्रथम पृष्ठ की प्रविष्टियां प्रत्येक पांच वर्ष में कोषालय प्रमुख द्वारा सत्यापित नहीं	कॉलम संख्या 8 में कर्मचारियों के हस्ताक्षर नहीं हैं	अभिप्रमाणित प्रति कर्मचारियों को प्रदाय कर हस्ताक्षर प्राप्त नहीं किया गया	अवकाश लेखा अपूर्ण है	अन्य
1	श्योपुर	—	—	—	—	हाँ
2	भिण्ड	हाँ	—	—	हाँ	—
3	मुरैना	—	—	—	हाँ	—
4	शिवपुरी	हाँ	—	—	हाँ	—
5	पन्ना	—	—	—	—	हाँ
6	अनूपपुर	—	हाँ	—	हाँ	हाँ
7	सिंगरौली	—	हाँ	—	हाँ	हाँ
8	नरसिंहपुर	—	हाँ	—	हाँ	हाँ
9	होशंगाबाद	—	—	—	—	हाँ
10	रायसेन	—	—	—	हाँ	हाँ
11	बड़वानी	—	—	—	—	हाँ
12	मोतीमहल	हाँ	हाँ	—	हाँ	—
13	टीकमगढ़	हाँ	हाँ	—	—	—

परिशिष्ट संख्या-57
(पैरा-3.11.7)

कोषालयों द्वारा कय किये गये सामग्री में पाई गई कय आदेशों को विभक्त कर अनियमित व्यय किया जाना

स.क.	कोषालय का नाम	कय माह	कय की कुल राशि	बिल/कैश में की संख्या
1	शिवपुरी	4 / 11	2969	03
2	अनूपपुर	11 / 10, 12 / 10, 1 / 11, 4 / 10, 5 / 10, 6 / 10, 2 / 10, 7 / 10, 8 / 10	9478	11
	योग		12447	14

परिशिष्ट संख्या-58

(पैरा-3.11.8)

कोषालय द्वारा कम्प्यूटर एवं ए.सी. की मरम्मत पर अनियमित व्यय किया जाना

स.क्र.	कोषालय का नाम	व्हा.क्र. एवं दि.	बिल क्र. एवं दि.	विवरण	राशि
1	पन्ना	—	77 / 02.11.01	ए.सी.मरम्मत	16000
		—	111 / 01.1.11	—"—	24450
		योग			40450

परिशिष्ट संख्या-59

(पैरा-3.11.9)

कार्यालय प्रमुख को प्रत्यायोजित वित्तीय अधिकारो से अधिक का व्यय किया जाना

स.क्र.	कोषालय का नाम	मद/आयटम संख्या	राशि
1	शिवपुरी	05	42098
2	पन्ना	03	41217
3	रायसेन	39	159947
	योग	47	243262